प्रथम अध्याय

भूमिका

शिक्षा आधुनिकीकरण और मानवीय विकास का मूल है। शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति के लिए रोटी और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास करना है ताकि उसका जीवन सही दिशा ग्रहण कर सके। शिक्षा संस्कृति, अर्थ और राजनीति तीनों का सम्मिश्रण है जो कि विकास प्रक्रिया को मापने का एक सही साधन है। विद्यालय शिक्षा का मुख्य अंग विद्यार्थी है क्योंकि वे देश का भविष्य है और शिक्षा उनका मुख्य आधार है। शिक्षा सीखने की वह प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। शिक्षा के विकास के लिए भारत की केन्द्रीय सरकार भिन्न भिन्न पहलुओं के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित राज्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जैसे कि प्राथमिक और उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृति देना, होस्टल की सुविधाएं प्रदान करना, शिक्षण साधनों के लिए सहायता प्रदान करना, आश्रम जैसे स्कूलों को खोलना और उनका संचालन करना, विद्यार्थियों को कपड़े और वर्दी प्रदान करना, अनुसूचित और जनजाति के छात्रों को शुल्क से छूट देना, प्राथमिक कक्षा से उच्चतर शिक्षा के लिए छात्रवृतियां प्रदान करना, विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का प्रबन्ध करना तथा अन्य कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना इत्यादि।[1]

'मध्याह्न भोजन योजना' विद्यालय भोजन कार्यक्रम के नाम से प्रसिद्ध है जो भारत में 1960 के दशक में आरम्भ की गई। इसका तात्पर्य यह है सभी विद्यालयों के कार्य दिवसों में बच्चों को दोपहर का भोजन मुफ्त प्रदान किया जाए। सुबह घर से भूखे चल के आए हुए विद्यार्थियों को भोजन करवाना, स्कूल के छात्रों की संख्या और उपस्थिति बढ़ाना, सभी जातियों के विद्यार्थियों के बीच में सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना, कुपोषण के बारे में जानकारी देना, महिलाओं को रोजगार देकर उनका सशक्तीकरण करना आदि इस योजना के मूलभूत उद्देश्य हैं। इस योजना का अपना ही एक इतिहास है। सन् 1923 में तमिलनाडू से इस योजना की

शुरूआत हुई और खासकर 1960 के दशक में तत्कालीन मुख्यमन्त्री के0 कामराज ने इसे पूरे राज्य में फैलाया और एम.जी. रामचन्द्रन के काल में यह योजना ओर भी आगे बढ़ी। सन् 1982 के बाद तो इसे भारत के अधिकतर राज्यों ने अपना लिया। 28 नवम्बर 2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसका मार्ग प्रशस्त किया। तमिलनाड के विद्यालयों में बच्चों की अप्रत्याशित वृद्धि ने इस योजना की सफलता को सिद्ध किया है।[2]

1.1 शिक्षा का अर्थ

'शिक्षा'शब्द संस्कृत में 'शिक्ष्' धातु से बना है– 'शिक्ष्' का अर्थ है सीखना, अध्ययन करना, ज्ञानर्जन करना। इसका प्रेरणार्थक रूप सिखाना है। शिक्षा एवं विद्या शब्दों का प्रयोग सीखने, सिखाने की प्रक्रिया के रूप में किया जाता है।

अंग्रेज़ी भाषा में 'एजुकेशन'शब्द हिन्दी के 'शिक्षा' शब्द का ही रूपान्तर है। एजुकेशन शब्द की व्युत्पति लेटिन भाषा के 'एजुकेटम' शब्द से हुई है। शिक्षा के अर्थ में ही लेटिन के दो शब्द एजूकेयर और एजुसीयर भी है।

एजुकेटम – प्रशिक्षण, शिक्षण

एजुकेयर – शिक्षित करना, बाहर निकालना, आगे बढ़ाना

एजुसीयर – विकसित करना, बाहर निकालना

काण्ट के अनुसार, ''शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है''।[3]

1.2 शिक्षा से अभिप्राय

शिक्षा एक अखण्ड धारा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली निरन्तर प्रक्रिया है। व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्यों के अनुभवों से, आस–पास के वातावरण से, अपनी आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों से, देश–विदेश में होने वाली विभिन्न घटनाओं से लगातार सीखता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण समझी जाती है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अदभुत उन्नति हुई है यही कारण है कि आज शारीरिक व मानसिक रूप की चुनौतियों से बच्चे समाज की अवहेलना का शिकार न होकर

शिक्षाविदों के लिए महत्वपूर्ण बन गए हैं ताकि वे भी अच्छे नागरिक बना पाएं और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे पाएं।[4]

शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। मानव जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण करता है। स्वामी दयानन्द के अनुसार,''बच्चा माता के गर्भ से शिक्षा ग्रहण करनी प्रांरभ कर देता है। जीवन की बगिया की सुन्दरता शिक्षा के बिना कुरूप ही दिखाई देती है। शिक्षा को शब्दों में अंकित करना बहुत कठिन है। शिक्षा की महत्ता को अनुभव किया जाता है, अभिव्यक्त नहीं।''[5]

शिक्षा की व्यक्ति के समाजीकरण करने, समाज का श्रेष्ठ नागरिक बनाने, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्राणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा की परिभाषा एवं अर्थ तथा इसकी भूमिका को समझने के लिए शिक्षा से संबंधित प्रमुख तत्वों का ज्ञान होना आवश्यक है और साथ ही उद्देश्य, लक्ष्य और मूल्य आदि के सिद्धांतों को भी स्पष्ट समझना चाहिए।

1.3 भारत में शिक्षा का इतिहास

भारत प्राचीन काल से ही विश्व गुरू रहा है। इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने अनेक मौलिक विचारकों को जन्म दिया। इन्होंने अपनी प्रतिभा व ज्ञान के बल पर भारत में शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए। भारतीय संस्कृति, साहित्य, सभ्यता सम्पूर्ण समाज के लिए प्ररणा स्त्रोत है। शिक्षाविदों ने शिक्षा को समाज से जोड़कर इसकी समस्त उपयोगिता पर बल दिया है।

भारतीय शिक्षा का इतिहास काफी संघर्षपूर्ण रहा है, जिसमें समय–समय पर कुछ ऐसे संशोधन, प्रावधान, कानून बनते रहे हैं जो शिक्षा के स्तर में योगदान देते रहे हैं। भारतीय शिक्षा का इतिहास सदियों पुराना है। इसका वर्णन निम्न प्रकार से है–

- वैदिक कालीन शिक्षा
- ब्राहाणकालीन शिक्षा
- बौद्धकालीन शिक्षा
- प्राचीन शिक्षा केन्द्र नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला एवं अग्रहार

- मुस्लिम कालीन शिक्षा पूर्व मुगल तथा मुगल काल
- तत्कालीन देशी शिक्षा की दशा
- मिशनरियों के प्रारम्भिक शिक्षा–प्रयास
- ईस्ट इण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक शिक्षा–प्रयास
- गैर मिशनरी शिक्षा प्रथा (1813–1833)
- मेकाले का विवरण पत्र, 1835 तथा निस्यन्दन सिद्धांत
- वुड का घोषणा पत्र, 1854
- भारतीय शिक्षा आयोग या हण्टर कमीशन (1882–1883)
- राष्ट्रीय आंदोलन और शिक्षा की प्रगति (1905–1921)
- गोखले का बिल और शिक्षा नीति संबधी सरकारी प्रस्ताव
- हर्टाग समिति (1927–1929)
- एबेट वुड रिपोर्ट (1936–1937)[6]

1.4 शिक्षा के विभिन्न आयाम

शिक्षा के अर्थ व इतिहास को का विश्लेषण करने के बाद यह बिन्दु समाने आता है कि शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाए। शिक्षा से संबंधित विभिन्न आयाम निम्नलिखित हैं–

1.4.1 शिक्षा और मनोविज्ञान

शिक्षा मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ समझने के लिए शिक्षा एवं मनोविज्ञान को अलग–अलग रूप में जानना आवश्यक है। मनोविज्ञान के क्रियात्मक पक्ष को शिक्षा में प्रयोग करना, शैक्षिक जगत के विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रूसो, हरबर्ट, फोबेल आदि कई विद्ववानों ने शिक्षा मनोविज्ञान के क्रियात्मक स्वरूप की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर विकास प्रक्रिया में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। सन् 1880 में मनोविज्ञान की एक नई शाखा, 'शिक्षा मनोविज्ञान' की स्थापना हुई। इसमें

शैक्षिक परिस्थितियों में स्थित मानव के व्यवहार का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, क्योंकि शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक–दूसरे के पूरक है।

मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने से पूर्व हमें मनोविज्ञान की परिभाषाओं के क्रमिक विकास का विश्लेषण करना अनिवार्य है, जो इस प्रकार है–

साइकॉलोजी शब्द दो शब्दों **साइके** तथा **लोगोस** से मिलकर बना है। साइके शब्द का अर्थ है आत्मा और लोगोस शब्द का अर्थ है शास्त्र अथवा विज्ञान। इस प्रकार साइकॉलोजी का अर्थ हुआ– आत्मा का विज्ञान। शाब्दिक अर्थ में मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है।

जे0 एस0 रॉस के अनुसार, ''पहले मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा से लगाया जाता था, परन्तु यह परिभाषा अस्पष्ट है क्योंकि इस प्रश्न का संतोषजनक उतर हमारे पास नहीं हैं कि आत्मा क्या है?''

1.4.1.1 बाल मनोविज्ञान

'बाल मनोविज्ञान' मनोविज्ञान की एक अंत्यत महत्वपूर्ण शाखा है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन एक ऐसी विशेष अवस्था है जिससे भोले–भाले और मासूम बच्चे के भावी विकास की चर्चा की जाती है। बालक के सूक्ष्म जीवन स्तर का अध्ययन बाल–मनोविज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। बाल–मनोविज्ञान में दो बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं–(i) बालक का आयु स्तर, (ii) बालक के व्यवहार की पहुंच। अब बाल विज्ञान को को समझने के लिए चार बातें विशेष महत्वपूर्ण हैं–

- बच्चे के विकास में उसके पालन–पोषण के साधन,
- उसके विकास पर वातावरण का प्रभाव,
- बालक की आयु वृद्धि और उसकी वंश परंपराए एवं
- जिस समाज में बालक की गतिविधियां।[8]

1.4.2 शिक्षा तथा इससे सम्बद्ध प्रमुख मूल तत्व

शिक्षा तथा इससे सम्बधित मूल तत्व निम्नलिखित चार प्रकार से हैं जो कि चित्र में दर्शाए गए हैं।

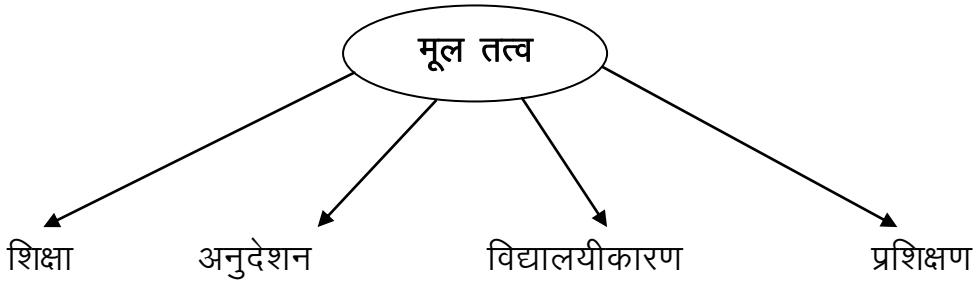

1.4.2.1 शिक्षा

शिक्षा के अर्थ पर विभिन्न शिक्षाविदों ने प्रकाश डाला है। उन्होंने देश, काल परिस्थिति आदि के अनुसार इसकी समुचित व्याख्या की है। कहीं इसे जीवन चलाने वाली प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया गया है, तो कहीं इसे व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विशिष्ट स्थान तक सीमित किया गया है। शिक्षा की विस्तृत व्याख्या से ज्ञात होता है कि जो बुद्धि का संवर्धन करता है, शिक्षा का पर्याय हो सकता है। वर्तमान परिवेश में अनेक शब्द शिक्षा के पर्याय बन गए हैं यद्यपि उनके अर्थों में भिन्नता है फिर भी वे विशिष्ट प्रक्रियाओं के ही द्योतक हैं। शिक्षा की विशेषता एवं मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए महान विद्वान गांधी जी के विचारों को जानना अनिवार्य है।

गांधी जी के अनुसार, "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है।"

1.4.2.2 अनुदेशन

कक्षा में अध्यापक द्वारा दिया जाने वाला सूचनात्मक,तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक ज्ञान–अनुदेशन कहलाता है। यह शिक्षार्थी के बौद्धिक पक्ष से संबंधित होता है। अनुदेशन शिक्षा के संकुचित अथवा औपचारिक रूप से संबंधित है। इस रूप में यह शिक्षा का एक अंग है, सम्पूर्ण शिक्षा नहीं।

गेट्स के अनुसार, ''अनुदेशन वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी को कुछ उद्देश्यों की ओर प्रेरित करती है।''

1.4.2.3 विद्यालयीकरण

अनुदेशन की भांति विद्यालयीकरण भी संकुचित शिक्षा अथवा औपचारिक शिक्षा है। इस रूप में यह शिक्षा का एक पक्ष है। 'विद्यालयीकरण' शब्द विद्यालय से निर्मित है।

जॉन डी. वी. के शब्दों में, ''स्कूल एक विशिष्ट पर्यावरण है, जहां एक निश्चित जीवन–स्तर व निश्चित प्रकार के क्रियाकलापों तथा व्यवसायों का प्रावधान इस उद्देश्य से किया जाता है कि बालक का वांछित दिशा में विकास हो सके''। विद्यालय परिवेश बालक को उसके विकास में सहयोग करता है। उसके जीवन स्तर को समाज से जोड़ने की दिशा में सहायक सिद्ध होता है।

1.4.2.4 प्रशिक्षण

वैब्सटर्स डिक्शनरी में प्रशिक्षण का अर्थ, ''अनुशासन् अथवा अनुदेशन द्वारा बालक में आदत, विचार या व्यवहार का विकास करना है।

किसी एक ही कार्य में दक्षता प्राप्त करना प्रशिक्षण कहलाता है। दक्षता एक ही कार्य को पुनः करके प्राप्त की जा सकती है। इस अवस्था में प्रशिक्षण बौद्विक न होकर दक्षता परक होता है। किसी भी कार्य को निरन्तर करके उसमें इतनी कुशलता प्राप्त करना कि वह हमारी आदत का ही एक अंग बन जाए, प्राशिक्षण कहलाता है। प्रशिक्षण में अभ्यास शामिल है। अभ्यास द्वारा ही कार्यकुशलता में वृद्धि होती है।[9]

1.4.3 संविधान तथा प्रारम्भिक शिक्षा

भारतीय संविधान 26 नवम्बर, 1949 को बना तथा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद 45 में निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी लक्ष्यों को इस प्रकार से दर्शाया गया है कि 'राज्य चौदह वर्ष की आयु तक

सभी बच्चों के लिए निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान लागू होने के दस वर्ष के भीतर करेंगे। इसमे तीन बिन्दु ध्यान देने योग्य हैं–

- राज्य का अर्थ केन्द्रीय तथा राज्य सरकार दोनों से है।
- इसमें 'प्राथमिक शिक्षा' शब्द का प्रयोग नहीं किया गया।
- इसमें शिक्षा के वर्षों की अवधि का भी उल्लेख नहीं है।

संविधान में इन लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा अच्छे प्रयास हुए हैं, परन्तु अभी भी बड़ी संख्या में बच्चे प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं।[10] भारतीय संविधान में प्रत्येक बालक की समुचित शिक्षा हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

1.4.3.1 शिक्षा का अधिकार

भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक बालक का मूलभूत अधिकार है कि वह शिक्षा प्राप्त करे। किसी भी आधार पर किसी बालक को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करना बालक का एक मौलिक अधिकार है।

संविधान के 83वें संविधान संशोधन, विधेयक 1997 में प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क अनिवार्य तथा सार्वभौमिक बनाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 21 को अन्तः स्थापित करने के लिए संसद में पेश किया। विधेयक का मुख्य उद्देश्य बालकों की निः शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, परन्तु इस विधेयक को 27 नवम्बर 2001 को वापस ले लिया गया। बाद में इस विषय की मानव संसाधन विकास पर संसद की स्थाई समिति द्वारा समीक्षा की गई और भारतीय विधि आयोग की 165वीं रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। तत्पश्चात् 93वां संविधान सशोधन, नए विधेयक 2001 के रूप में दोबारा स्थापित किया गया, जिसे 14 मई 2002 को पारित कर दिया गया। संशोधन में पारित किए गए प्रावधान निम्नलिखित हैं–

- **अनुच्छेद 21ए के अनुसार**–राज्य उन सभी बालकों जिनकी आयु 6–14 वर्ष तक है निः शुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा।

- **अनुच्छेद 45 के अनुसार**–बालक जब तक 5 वर्ष का होता है, राज्य समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा।
- **अनुच्छेद 51 ए(क) के अनुसार**–6–14 वर्ष की आयु के बालकों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए माता–पिता संरक्षक के रूप में बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

इस विधेयक को कुछ औपचारिक संशोधन के पश्चात् राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत किए जाने के बाद संविधान के 86वें संशोधन के रूप में अधिनियम, 2002 के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया। शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाने के लिए संवैधानिक कार्यवाही शुरू होने से पहले उच्चतम न्यायालय बनाम स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश एंड आदर्श से अवधारित किया था कि, ''देश के प्रत्येक नागरिक को निशुल्क शिक्षा का अधिकार है, जब तक वह 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता।''[11] संविधान संशोधनों एवं प्रावधानों के आधार पर बालक की अनिवार्य शिक्षा हेतु अभिभावकों के साथ–साथ समाज का दायित्व भी सुनिश्चित किया गया।

1.4.4 शिक्षा के स्तर

भारतीय शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षा को कई स्तरों में बाँटा गया है जैसे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक व उच्च स्तर पर शिक्षा। इन सभी स्तरों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है–

1.4.4.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति हमारा दृष्टिकोण है कि ज्ञान के विस्फोट के मद्दे नजर रखते हुए सामाजिक परिवर्तनों के साथ अनुकूलता स्थापित करने हेतु बालक को अल्प आयु से ही समायोजन क्षमता में वृद्धि करने के अभ्यास की जरूरत है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्भव का जो मूल कारण रहा है, उसके पीछे शिक्षाविदों का एक मात्र मन्तव्य बालक को उन सभी अभावों से दूर रखना है जो उसके व्यक्तित्व में सामाजिक गतिशालता के फलस्वरूप असंतुलन पैदा करते है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षण संस्थानों का वातावरण अनौपचारिक एवं परिवार जैसा रखने पर बल दिया जाता है। तीन से छह वर्ष तक की आयु पूर्व प्राथमिक शिक्षण हेतु सर्व मान्य है। बालक के सभी प्रकार के विकास द्रुत गति से होते हैं। समूह में रहकर वह सहभागिता सीखे, विद्यालय में जाकर वह असुरक्षा की भावना से मुक्त हो, प्रकृति के साथ स्वच्छंद रूप में रहकर स्वयं अपने अनुभवों से सीखे इत्यादि कुछ ऐसे आधारभूत उद्देश्य रहे हैं, जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा को बढावा दिया है।[12]

1.4.4.2 प्राथमिक शिक्षा

शिक्षा का प्राथमिक चरण है– 'प्राथमिक शिक्षा'। भारतवर्ष में प्रचलित शिक्षा प्रणाली की पहली सीढ़ी प्राथमिक शिक्षा है यह वह बुनियाद है जिस पर बच्चे की समूची शिक्षा प्रणाली आधारित है। इस पर ही बच्चे की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावात्मक योग्याताओं का विकास निर्भर होता है। यदि प्राथमिक स्तर पर बच्चे की शिक्षा की समुचित देखभाल की जाए तो उसकी माध्यमिक शिक्षा सुचारू रूप से चलने लगती है। श्री के. जी. साइयसन् ने ठीक कहा है–''प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी जाति या वर्ग से नहीं, बल्कि देश की समूची जनता के साथ इस का संबंध है यह प्रत्येक बिन्दु पर जीवन को स्पर्श करती है और राष्ट्रीय आदर्श और चरित्र के निर्माण में किसी अन्य क्रिया सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक क्रिया की अपेक्षा अधिक काम कर सकती है।[13]

1.4.4.2.1 प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया था, ''यदि हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाए तो हमारे देश की कल क्या दशा होगी? देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चे को निः शुल्क शिक्षा प्रदान करना भी राज्य का कर्त्तव्य है। आचरण, कर्त्तव्यपालन तथा आज्ञापालन के गुणों को विकसित करने तथा शिष्टाचार की शिक्षा देकर बालक को सम्पूर्ण मनुष्य बनाने का प्रयास किया जाता है।

विस्तृत रूप से प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का समावेश है–

- सभी बच्चों के लिए कक्षा 1 से 8 तक निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना।
- सभी बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा के लिए उनके घर के समीप स्कूल में प्रवेश की व्यवस्था करना।
- चौदह वर्ष की आयु तक बच्चों का स्कूल में टिके रहना और बच्चों का बीच में स्कूल न छोड़ना।[14]

1.4.4.3 माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा का अर्थ वह शिक्षा है जो द्वितीय या माध्यमिक अवस्था में दी जाती है। एक बच्चे की स्कूली शिक्षा को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है–

- प्राथमिक शिक्षा से पहले।
- प्राथमिक शिक्षा।
- माध्यमिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा से पहले की शिक्षा बचपन के शुरू में दिये जाने से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा बचपन से संबंधित और माध्यमिक शिक्षा किशोरावस्था से संबंधित है। अगर हम कहें कि प्राथमिक शिक्षा औपाचारिक शिक्षा की पहली अवस्था है और महाविद्यालय शिक्षा अंतिम अवस्था है तो माध्यमिक शिक्षा मध्य में आती है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53) के अनुसार, ''वह शिक्षा जो कि प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद और महाविद्यालय शिक्षा शुरू होने से पहले समाप्त होती है उसे माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा 11–17 वर्ष के बच्चों को दी जाती है। इस आयोग ने इसे दो भागों में बांटा है

- तीन वर्ष की अवधि की मिडल या जूनियर सैकेण्डरी स्टेज पर आधारित।
- चार वर्ष की अवधि की उच्च माध्यमिक अवस्था।[15]

1.4.4.3.1 शिक्षा की प्रकृति

माध्यमिक शिक्षा जो कि आजादी से पहले से दी जा रही थी पूरे देशभर में एक समान नहीं थी। कई रूपों में माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी।

- **उच्च प्राथमिक शिक्षा तथा मिडल विद्यालय**–कई राज्यों में मिडल स्कूलों को उच्च प्राथमिक स्कूल कहा जाता था। जबकि कई राज्यों में इसे देशीय स्कूल कहा जाता था। ये स्कूल छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक शिक्षा प्रदान करते थे।
- **उच्च माध्यमिक विद्यालय**–यह संस्थाएं 3 से 4 वर्ष तक की अवधि तक शिक्षा प्रदान करती है।
- **उच्च शिक्षा**–कई राज्यों में एक वर्ष की डिग्री क्लास को माध्यमिक शिक्षा समझा जाता था।
- **माध्यमिक स्कूल**–इन स्कूलों में शिक्षा दो स्तरों पर दी जाती है–
  - निम्न स्तर पर
  - उच्च स्तर पर
- **वोकेशनल या व्यावसायिक संस्थाएं**–ये संस्थाएं इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि और वाणिज्य आदि संबंधी शिक्षा प्रदान करती है।
- **तकनीकी संस्थाएं**–यह संस्थाएं शिक्षा तथा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण आदि की शिक्षा देती है। इसकी कम–से–कम सीमा 12 वर्ष है।
- **बहुतकनीकी शिक्षा**–इन संस्थाओं में दाखिला लेने के लिए कम–से–कम शैक्षणिक योग्यता आठवीं या दसवीं होती है। इसमें तकनीकी, कला और शिल्प, गृह–विज्ञान घरेलू शिल्प कला आदि कोर्स शामिल है।[16]

1.4.4.3.2 भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास

राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा के किसी भी कार्यक्रम में माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा एवं विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य एक योजक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह प्राथमिक शिक्षा के लिए अध्यापक प्रदान करती है,

विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या अन्य किसी उच्च शिक्षण संस्थान की शिक्षा के योग्य बनाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों की व्यापक संख्या इसी स्तर पर अपनी शिक्षा को पूर्ण करती है। माध्यमिक स्तर की अच्छी शिक्षा की प्राप्ति के बिना कोई भी विद्यार्थी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय की उच्चतम शिक्षा का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए माध्यमिक शिक्षा को उच्च गुणात्मक स्तर का होना चाहिए।

स्वतन्त्रता के पश्चात् चार प्रवर समितियों ने माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया। ये समितियां है–

- तारा चंद कमेटी, 1948
- विश्वद्यिालय शिक्षा आयोग (1948–49)
- माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)
- भारतीय शिक्षा आयोग (1964–66)।[17]

1.4.4.3.3 माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण

माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने की चुनौतियों का सामना करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा में बदलाव की आवश्यकता है। सार्वभौमिक पहुंच, समानता और सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता और विकास और पाठ्यचर्या पहलू आदि मुख्य लक्ष्य हैं। मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है–

- यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्कूल भौतिक सुविधाओं और आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार है।
- सरकारी स्कूलों और सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में सरकार/स्थानीय निकायों से वित्तिय सहायता तथा अन्य स्कूलों के मामलों में वहां एक उपयुक्त विनियामक तंत्र होना चाहिए।
- माध्यमिक स्कूली शिक्षा सभी युवाओं को उचित दूरी मे प्रदान की जाती है जो कि माध्यमिक स्कूलों के लिए 5 किलोमीटर और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 7–10 किलोमीटर है। परिवहन व्यवस्था/आवासीय सुविधाएं स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर प्रदान की जानी चाहिए। पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में इन मानदंडों में ढील

दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किये जा सकते हैं।

- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी बच्चा लिंग भेदभाव के कारण, सामाजिक–आर्थिक कारणों से, विकलांगता के कारण या अन्य बाधाओं के कारण माध्यमिक शिक्षा ये वंचित नहीं होना चाहिए।
- इस सब के पीछे दृष्टि है कि 2017 तक माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता को प्राप्त किया जा सकें।[18]

1.4.5 शिक्षा के उद्देश्य

प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में विशेष महत्व है। प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों से व्यक्ति अवश्य प्रभावित होता है। शिक्षा का स्वरूप वर्तमान परिवेश में बदलता जा रहा है ऐसी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं–

1.4.5.1 प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

प्राथमिक शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास करना।
- एक अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करना।
- शारीरिक श्रम के प्रति आदर भाव विकसित करना।
- वैज्ञानिक अभिवृति तथा दृष्टिकोण का विकास करना।
- आध्यात्मिक तथा प्रतीक गुणों का विकास करना।
- राष्ट्र प्रेम के प्रति प्रेम की भावना रखना।
- आधारभूत प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का विकास करना।
- अच्छे गुणों का विकास करना।

1.4.5.2 कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

कोठारी शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा–कनिष्ठ व वरिष्ठ और इसी आधार पर प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1.4.5.2.1 कनिष्ठ स्तर

- बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना।
- सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण की जानकारी प्रदान करना।
- पढ़ने, लिखने व गणित के बारे में साधारण जानकारी प्रदान करना।
- अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करना।
- श्रम की भावना विकसित करना।
- बालकों का सामाजिक विकास करना।

1.4.5.2.2 वरिष्ठ स्तर

- विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में सूझ–बूझ से काम करने की क्षमता विकसित करना।
- समाज के विकास हेतु सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
- हस्तकलाओं द्वारा विभिन्न कार्य अनुभवों में दक्षता प्राप्त करना।
- देश की विभिन्नताओं में एकता के तत्वों को समझने की योग्यता का विकास करना।
- भाषा, वर्ग, लिंग, जाति, वर्ण एवं अन्य विभिन्नताओं को चुनकर परस्पर सहयोग की भावना विकसित करना।

1.4.5.3 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को तीन वर्गो में बॉटा गया है–

- बालक का अधिगमकर्त्ता के रूप में विकास
- बालक का नागरिक के रूप में विकास
- बालक का एक कार्यकर्ता के रूप में विकास

अतः यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा बालक के शैक्षिक जीवन का आधार होती है। इस स्तर की महता होने के कारण ही समय–समय पर इसकी पाठ्यचर्या व उद्देश्यों में परिवर्तन होता रहता है। आज इसी स्तर पर तकनीकी ज्ञान प्रदान करना भी आवश्यक माना जा रहा है क्योंकि पहली शिक्षा माध्यमिक शिक्षा का आधार मानी जाती है। यदि इस स्तर पर बालक में पढ़ने–लिखने के प्रति रूचि उत्पन्न हो जाती है तो भारत में जो 100 प्रतिशत साक्षरता का स्वप्न हम आजादी के समय से देख रहे हैं उसे पूरा किया जा सकता है।[19]

1.5 मध्याह्न भोजन योजनाः एक दृष्टि में

मध्याह्न भोजन योजना विश्व की महान योजनाओं में से एक है जिससे पूरे देश में 12.65 लाख विद्यालयों/शिक्षा प्रतिभूत केन्द्रों में 12 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। भारत के विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का एक लम्बा इतिहास है। सन् 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा वंचित छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना से जोड़ा गया और सन् 1980 के दशक तक गुजरात, केरल, तमिलनाड और केन्द्रशासित प्रदेश पुडुचेरी ने अपने संसाधनों से इस योजना के तह्त विद्यार्थियों के लिए भोजन पकाया जो उस समय प्राथमिक स्तर तक पढ़ रहे थे। इसके बाद 1990–91 तक तो 12 राज्यों ने इस योजना को पूर्णताः /अंशतः अपना लिया।[20]

यद्यपि यह योजना तमिलनाड में आरम्भिक स्थिति में थी परन्तु इसकी सफलता ने इसे चरमसीमा तक पहुंचा दिया। यह योजना इतनी लुभावनी दिखाई

दी कि सन् 1995 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री पी.वी. नरसिम्हा राव अभिभूत हुए और कहा कि ये योजना पूरे देश में लागू होनी चाहिए। इस प्रकार यह योजना ''नैशनल प्रोग्राम फार न्यूट्रीशन स्पोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन'' के नाम से आरम्भ हुई। 1997–98 में इस योजना को देश के सभी खण्डों में लागू किया गया। सन् 2002 तक इस योजना को बढ़ाकर न केवल पहली कक्षा से पाचवीं तक बल्कि 'शिक्षा गारंटी योजना' (ई.जी.एस.) और 'वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा' (ए.आई.ई) केन्द्रों तक भी बढ़ा दिया गया। केन्द्रीय सहायता योजना के अर्न्तगत प्रत्येक विद्यालय कार्य दिवस पर प्रति विद्यार्थी को 100 ग्राम अनाज दिया गया और 50 रूपये प्रति क्विंटल तक माल ढुलाई के लिए सबसीडी दी गई।[21]

मध्याह्न भोजन योजना के तहत वर्ष 2001–02 में 18.67 लाख टन चावल का आबंटन हुआ था जो वर्ष 2008–09 में बढ़कर 21.48 लाख टन हो गया। वर्ष 2008–09 में गेहूं के आबंटन में कमी आई जैसे वर्ष 2001–02 में 9.96 लाख टन गेहूं का आबंटन किया गया था जबकि वर्ष 2008–09 में गेहूं का आबंटन मात्र 4.78 लाख टन ही हुआ। वर्ष 2001–02 में चावल के कुल आबंटन में 72 प्रतिशत का उपयोग हुआ था जबकि यही मात्रा 2008–09 में बढ़कर 78 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 2001–02 में गेहूं के कुल आबंटन के 73 प्रतिशत का उपयोग हुआ था जबकि 2008–09 में इसकी मात्रा बढ़कर 91 प्रतिशत तक पहुंच गई।[22]

2011–12 में हरियाणा में सभी जिलों में 85 प्रतिशत अनाज का आबंटन किया गया जबकि 75 प्रतिशत अनाज का प्रयोग किया गया और इसमें 38 प्रतिशत अनाज केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया। 2013–14 में भारत सरकार राज्यों में 75 प्रतिशत अनाज का आबंटन किया गया तथा राज्यों के द्वारा 75 प्रतिशत अनाज का प्रयोग किया गया तो कुछ राज्यों में कम प्रयोग हुआ। वर्ष 2015–16 में हरियाणा को 65 प्रतिशत अनाज का आबंटन किया गया तथा यह आबंटन त्रैमासिक किया जाता है।

ऑडिट के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की कई कमियों का खुलासा हुआ जिसमें यह बात सामने आई है कि शिक्षकों को भोजन पकाने के काम की देखभाल करने व बच्चों को भोजन परोसने में काफी समय खर्च करना पड़ता है और इससे

उनके अध्यापन कार्य में बाधा उत्पन्न होती है और इसका बच्चों के अध्ययन कार्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।[23]

1.5.1 मध्याह्न भोजन योजनाः हरियाणा राज्य के परिप्रेक्ष्य में

आज शिक्षा एक सामान्य व्यक्ति के लिए जागरूकता की जननी बन गई है और आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति में अनुभव और चेतना का संचार करती है। आज के समय शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण व आवश्यक औजार और साधन है, जो व्यक्ति को उच्च शिखर तक पहुँचाता है। मध्याह्न भोजन योजना जो कि शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना या स्त्रोत के रूप में उभर कर सामने आ रही है ताकि अधिक से अधिक गरीब व कुपोषित विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर अपना विकास कर सकें। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बच्चे को अनिवार्य क्षमता प्रदान कर सकती हैं, ताकि वह अपने जीवन में आने वाले हर प्रकार के संघर्ष और चुनौतियों का डट कर मुकाबला कर सके। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के चार मुख्य बिन्दु हैं, जिन्हे इस प्रकार चिह्नित किया जाता है।

- शिक्षा तक पहुंचना
- छात्रों का नामांकन
- नामांकित छात्रों की स्थिति बनाए रखना
- उपलब्धियां

मध्याह्न योजना भोजन योजना को लागू करना इन चारों उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हरियाणा सरकार द्वारा एक सराहनीय प्रयास है। शिक्षा से वंचित छात्रों को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा स्तर तक काफी योजनाएं चलाई गई हैं। सर्वशिक्षा अभियान जैसे सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से यह योजना प्राथमिक शिक्षा के छात्रों तक पहुंचाई गई है। इसके बावजूद भी माता पिता की आर्थिक दशा कमजोर के कारण विद्यार्थी अभी भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे माता पिता का विचार है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने का अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकते और साथ ही साथ उन बच्चों के श्रम से कमाए गए धन से भी वंचित रह जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माता पिता के इसी दृष्टिकोण में

बदलाव करने के लिए बच्चों को दोपहर का भोजन दिया गया ताकि माता पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित हो सकें। अक्तूबर 2007 में हरियाणा राज्य शिक्षा से पिछड़े 36 खण्डों के मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई लेकिन 1 अप्रैल 2008 सेयह राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में भी लागू कर दी गई । 2009–10 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए भोजन पकाने का खर्च या व्यय 2.60 रूपये था उसमें से 50 पैसे राज्य सरकार और 2.10 रूपये भारत सरकार वहन कर रही है। आज मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक छात्रों को प्रतिदिन 700 कैलोरी और दो ग्राम प्रोटीन युक्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। 1 अप्रैल 2010 से भारत सरकार ने रसोईया/सहायक का मानदेय बढ़ाया है जो कि प्राथमिक स्तर तक प्रतिछात्र 2.50 रूपये से बढ़ाकर 2.69 रूपये तक और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रतिछात्र 3.75 रूपये से 4.03 रूपये कर दिया और 1 अप्रैल 2011 से तो भारत सरकार के निर्देशानुसार रसोईया/सहायक का मानदेय 1000 रूपये प्रतिमास निश्चित कर दिया गया। 2012–13 में रसोईया/सहायक का मानदेय 1150 रूपये और सन् 2016 में अब 2500रूपये इनका मानदेय कर दिया गया है।[24]

1.5.2 मध्याह्न भोजन योजनाः क्रियान्वयन प्रक्रिया

प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएसपीई), लोकप्रिय मिड–डे मील योजना के रूप में जाना जाता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रमुख पहल देश में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण लक्ष्य को हासिल करने से एक है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के विस्तार के साथ, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अब भारत सरकार के मुख्य कार्यक्रमों में से एक है। इसलिए बच्चों के लिए पोषण, समावेशी शिक्षा, मीडिया आदि के लिए इस कार्यक्रम की सभी आंतरिक और बाहरी स्तरों पर निगरानी, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, प्रभाव अध्ययन, प्रलेखन के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर मार्गदर्शन और विभिन्न गतिविधियों के एकीकरण के माध्यम के द्वारा निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। इन महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के तत्वावधान में एक तकनीकी सहायता समूह एडसिल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है।

सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को समुचित रूप से चलाने के लिए मासिक/त्रिमासिक/वार्षिक आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी अपने खण्ड के प्रत्येक विद्यालय से आंकड़े एकत्रित करके अपने जिले के प्राथमिक शिक्षा अधिकारी को सौंपता है। जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले के सभी आंकड़ों को संकलित करता है, जिससे राज्य योजना का क्रियान्वयन होता है। राज्य स्तरीय योजना को पूर्ण करने के लिए मासिक/त्रिमासिक रिपोर्ट का मूल्यांकन किया जाता है जो जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा भेजी होती है। भोजन बनाने का व्यय, रसोईए का मानदेय, रसोईघर की छत तथा रसोईघर के बर्तनों के लिए कीमत का निर्धारण 75: 25 के आधार पर होता है। यह खर्च जो कि 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार 25 प्रतिशत राज्य सरकारें वहन करती हैं। जिले में सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों की संख्या के आधार पर रसोईए के मानदेय और भोजन बनाने के खर्च को आंका जाता है। जिसमें दिनों की संख्या और भोजन बनाने के लिए आए खर्चों के मापदण्ड को बनाया जाता है। वार्षिक कार्य योजना को बनाने के लिए मुख्यालय स्तर और जिला स्तर पर अनेक सभाएँ की जाती हैं और मध्याह्न भोजन योजना को कार्य रूप दे दिया जाता है। इससे संबंधित निम्न सूचनाएँ जिले व खण्ड के प्रत्येक स्कूल को भेजी जाती हैं।[25]

मध्याह्न भोजन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया से संबंधित विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर को नीचे दिए चार्ट में दर्शाया गया है जो कि इस प्रकार है –

मध्याह्न भोजन योजना

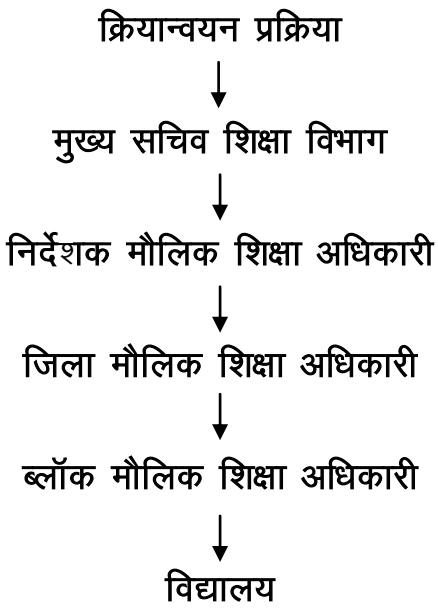

क्रियान्वयन प्रक्रिया

↓

मुख्य सचिव शिक्षा विभाग

↓

निर्देशक मौलिक शिक्षा अधिकारी

↓

जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी

↓

ब्लॉक मौलिक शिक्षा अधिकारी

↓

विद्यालय

1.5.3 मध्याह्न भोजन योजना का सर्वेक्षण

भारत सरकार ने 1986 में मध्याह्न भोजन योजना पूर्ण रूप से शुरू करने के लिए पहले राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण करवाया गया तथा आंकड़े इकट्ठे किये जो इस प्रकार से है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा 13.67 लाख को 15.91 प्रतिशत प्राथमिक स्तर के छात्रों को मिल रहा है। प्राथमिक स्तर पर तमिलनाड में 47.55 प्रतिशत छात्रों, सिक्किम में 46.14 प्रतिशत छात्रों को, पश्चिमी बंगाल में 47.84 प्रतिशत छात्रों, दादर तथा नगर हवेली में 56.07 प्रतिशत छात्रों को, त्रिपुरा में 59.94 प्रतिशत छात्रों तथा लक्षद्वीप में 60.11 प्रतिशत छात्रों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत मध्याह्न भोजन वितरित करके लाभ पहुंचाया गया।

मध्याह्न भोजन सम्पूर्ण भारत में 27.9 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 24.28 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर तथा 7.20 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत मध्याह्न भोजन गांव तथा शहर के प्रत्येक स्तर पर पहुंचाया गया। गांवों में 28.28 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 25.06 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर, 7.15 प्रतिशत उच्च स्तर पर तथा 11.8 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदान किया गया। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 24.75 प्रतिशत प्राथमिक स्तर पर, 20.95 प्रतिशत माध्यमिक स्तर पर, 6.91 प्रतिशत उच्च प्राथमिक स्तर पर तथा

11.84 प्रतिशत उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान किया जाता था। इस रिपोर्ट के अनुसार 22.6 लाख छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा था जिसमें 70.14 प्रतिशत ग्रामीण तथा 29.86 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में भी प्रदान किया गया। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सम्पूर्ण देश में मध्याह्न भोजन को 20.25 प्रतिशत सामान्य जाति तथा 12.81 प्रतिशत अनुसूचित जाति के छात्र प्राप्त करते थे।

इस रिपोर्ट के बाद 1988 में शिक्षा के सार्वभौमिकरण में एक और सुझाव दिया गया कि अगर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों को अगर 1 रूपया हर रोज प्रति छात्र दिया जाए तो 277.32 करोड रू0 अतिरिक्त भार पडेगा। इस प्रकार भोजन के शुरू होने से पहले ही 1991 तक भारत के 17 राज्यों में मध्याह्न भोजन को राजकीय स्कूलों में अपनाई जा चुकी थी।[26]

1.5.4 शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना

शिक्षा के सार्वभौमिकरण की समस्या से निपटने के लिए तथा प्राथमिक शिक्षा को हर व्यक्ति को सुलभ करवाने की दिशा में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हाराव ने 15 अगस्त 1995 को मध्याह्न भोजन योजना की शुरूआत की। इसी स्कीम को और सुचारू ढंग से चलाने के लिए तथा प्रत्येक बच्चे को दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाना तथा जिसमें 300 कैलोरीज तथा 8–12 ग्राम प्रोटीन की मात्रा को दिए जाने के निर्देश हैं जो सिविल रीट पैटीशन न0 196/2001 पीपूलज यूनियन फॉर सिविल लैबेरिट्रीज वर्सस यूनियन ऑफ इंडिया में दिनांक 20.04.2004 को माननीय तत्कालीन उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए आदेशानुसार माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने 15.08.2004 से इस योजना राजकीय/अराजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में 1 से 5वी कक्षा के बच्चों को मिड डे मील के अंन्तर्गत पका पकाया दोपहर का भोजन देने के लिए निर्देश दिए। बाद में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ के पत्र क्रमांक एम.डी.एम. (1) दिनांक 03.10.2007 व पुनः पत्र क्रमाकं एम.डी.एम. (1) दिनांक 17.10.2007 के अनुसार सभी विद्यालयों के मुखियाओं को आदेश दिया गया कि वे 31.10.2007 से पहले अपने विद्यालय में 6 से 8 तक के बच्चों के लिए मिड डे मील शुरू करें। तब

से हरियाणा में भी 6–8 तक के बच्चों को हरियाणा के स्कूलों में दोपहर को मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत मुफ्त भोजन दिया जा रहा है।[27]

1.5.5 मध्याह्न भोजन योजनाः उद्देश्य

इस योजना के मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के नामांकन को बढ़ाना था और साथ ही छात्रों की स्थिति और उपस्थिति बनाए रखने के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा के छात्रों को समान रूप से भोजन दिया जाना है। यह प्रयास प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा में समानता लाने के उद्देश्य से किया गया। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में वृद्धि।
- छात्रों को स्कूल में पूरे समय रोके रखना तथा विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति (ड्राप आउट) में कमी करना।
- निर्बल आय वर्ग के बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
- छात्रों को पौष्टिक आहार प्रदान करना।
- विद्यालय में सभी जाति एवं धर्म के छात्र–छात्राओं को एक स्थान पर भोजन उपलब्ध करा कर उनके मध्य सामाजिक सौहार्द, एकता एवं परस्पर भाई–चारे की भावना जागृत करना।
- गर्मियों की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना।[28]

1.6 साहित्य समीक्षा

मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन करने से पहले उपलब्ध साहित्य का अध्ययन करना आवश्यक है। मध्याह्न भोजन योजना के शोध तथा अन्य अध्ययनों की समीक्षा ही इस अध्ययन का अंतिम चरण नहीं है, अपितु इस दिशा में प्रयास

मात्र है। मध्याह्न भोजन योजना से सम्बंधित साहित्य का अध्ययन निम्न प्रकार से है: –

उमेश वत्स[29] ने अपने लेख ''मिड–डे–मील एक सकारात्मक कदम''में बताया है कि राज्य के लगभग 15 हजार विद्यालयों में लगभग 22 लाख बच्चे वर्तमान में स्वादिष्ट भोजन का आनन्द प्राप्त कर रहे हैं। निर्धन घरों के बच्चे अपने घरों में गरीबी के कारण सूखी रोटी खाने को मजबूर थे। अब भिन्न–भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पाकर फूले नहीं समाते, वहीं उनकी सेहत भी पहले से बेहतर है और वह निरोग जीवन जी रहे हैं। अधिक से अधिक बच्चों ने बाल मजदूरी छोड़कर विद्यालय की राह पकड़ी है। अब स्कूलों में मिड–डे–मील में रोटी के साथ मौसमी सब्जी भी मिलती है। जैसे आजकल की सब्जियों में गाजर, मटर आदि की सब्जी जो बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। मौसम के अनुसार हरी सब्जी से बने पुलाव व पौष्टिक खिचड़ी भी मिलती है। दाल चावल और कढ़ी चावल बच्चों को जहाँ भण्डारे की याद दिलाते हैं, वहीं मीठी खीर और दलिया बच्चों को बहुत ही लुभाता है। हलवा व काले चने बच्चों को माता के जागरण का अहसास करवाते हैं। कहने का भाव यहां पर लेखक का मत यह है कि आज मिड–डे–मील योजना बच्चों के लिए मनपसंद खाना तो उपलब्ध कराती ही है साथ ही यह सही स्वास्थ्य पूर्ण योजना भी साबित हो रही है।

डी.डी. मैहता[30] ने अपनी पुस्तक ''टीचर्ज फंक्शनस एट दी एलीमैंटरी स्टेज''में लिखा है कि स्कूलों में अध्यापकों के लिए एक नहीं बल्कि अनेक मुख्य कार्य हैं–जिनमें से सबसे पहले बच्चों की संख्या व उपस्थिति का ध्यान व रजिस्टर में हाजिरी दर्ज करना है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए नैतिक जिम्मेवारी निश्चित करना और उन्हें समझाना भी है, परन्तु इससे अधिक आज के समय में अध्यापकों के लिए मुख्य कार्य है बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना। स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत अध्यापकों के कई कार्य हैं जैसे बच्चों की संख्या, खाने की व्यवस्था, साफ सफाई और बैठने के स्थान की महत्ता और इसके अलावा अन्य कार्य भी हैं। इन सबका रिकार्ड रजिस्टर में रखना अध्यापक का मुख्य कार्य हैं। यहॉ लेखक यह बताना चाहता है कि अध्यापक का मुख्य कार्य बच्चों को पौष्टिक और पोषक तत्व प्रदान करना है ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

सुदीप चक्रवर्ती[31] की पुस्तक, ''फूड सिक्योरिटी एण्ड चाईल्ड लेबर''में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी राज्यों के लिए मध्याह्न भोजन योजना का पालन करना अनिवार्य है। अब तो मध्याह्न भोजन योजना सभी राज्यों में लागू है। इन्होंने बहुत से अध्ययनों में पाया कि मध्याह्न भोजन से नामांकन और उपस्थिति में आश्चर्यजनक सुधार आए हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के विद्यालय यहां तक कि शिशु शिक्षा केन्द्र और माध्यमिक शिक्षा केन्द्र भी आते हैं। मध्याह्न भोजन योजना जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत चलाई जा रही है। बच्चों को स्वादिष्ट भोजन देती है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके।

हरमीत सिंह[32] ने अपने लेख,''शिक्षा को बचाया जा सकता है'' में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया हैं कि शिक्षा को जातिवाद के प्रभाव/साय से बचाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सभी वर्गो और जातियों के गरीब बच्चों के लिए देश भर के जिलों, ब्लॉकों में आवासीय प्राथमिक स्कूल खोले जाएं। उसमें विद्यार्थियों को सब प्रकार की समान सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि उनमें किसी प्रकार का भेदभाव न हो। सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सभी वर्गों और जातियों, साम्प्रदायों की महिलाओं को मध्याह्न भोजन बनाने का कार्य सौंपा जाए ताकि जातिवाद का नामों निशान तक न रहे।

सतीश कुमार[33] ने अपने शोध,''जिले के प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना सम्बन्धी अध्यापकों, छात्रों तथा उनके अभिभावकों के विचारों का अध्ययन'' में बताया है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा दाखिले पर इस योजना का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने अपने अध्ययन में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में आई कठिनाइयों का भी वर्णन किया है। उन्होंने पाया कि गांवों के अधिकतर लोग खेतीहर मजदूर हैं। परिवार के सभी सदस्य खेतों में मजदूरी करते हैं तथा उन्हे अपने बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करना सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर भोजन का प्रंबन्ध स्कूलों में होता है तो वह अपने बच्चों को आसानी से स्कूल में भेज सकते हैं।

अनीमा शर्मा[34] अपनी पुस्तक,''सोशियो इकोनोमिक डिवेलपमैंट आफ इण्डियन ट्राईबस'' में लिखती हैं कि परिवार में अधिक लोगों के होने का अर्थ है कमाने के

लिए अधिक हाथ और अधिक भोजन संग्रह करने में सहयोग। इस प्रकार उनके मस्तिष्क की हर क्रिया में भोजन है। सरकार ने विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने के लिए मिड–डे–मील जैसी योजना इसीलिए लागू की है ताकि गरीब परिवार के बच्चों की भूख की समस्या का निवारण हो सके। इस योजना के अनुसार भोजन मिलेगा तो बच्चों को विद्यालय भेजने में माता पिता का कोई विरोध नहीं होगा और विद्यार्थियों को दिन में कम से एक बार खाने के रूप में पोषक तत्व अवश्य मिलेंगे।

आर.आर. सक्सेना[35] और मित्तल ने अपनी पुस्तक, ''इम्पेक्ट आफ मिड–डे–मील प्रोग्राम आन एनरोलमैंट एण्ड रिटेन्शन एट दी प्राईमरी स्टेज'' में लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना के कारण स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटी है और कक्षा की पुनरावृत्ति की संख्या भी घटी है। इस योजना के कारण शिक्षा चक्र में विद्यार्थियों की सख्या में सुधार आया है। उनका यह अध्ययन 13 राज्यों में किया गया। इस आधार पर योजना ने इस कथन का प्रतिपादन किया कि नामांकन संख्या और विद्यार्थियों की स्थिति में सुधार हुआ है।

मोर्लिन ई0 लोकहिड[36] ने अपने अध्ययन ''कन्डक्टड ए स्टडी ऐबस्ट्रेकस फरोम इम्प्रूविंग प्राईमरी एजुकेशन इन डिवेलपिंग कन्टरी'' ने अपने अध्ययन में बताया कि बच्चों के भोजनीय पोषक स्तर और विद्यालय के मध्य गहरा संबंन्ध है। इससे नामांकन, ग्रेड प्राप्ति, अनुपस्थिति में कमी, सामान्य उपलब्धि और कक्षा में ध्यान ये सब मध्याह्न भोजन के कारण बढ़े हैं। भोजन के पोषक स्तर ने बच्चों को तीन स्तर तक प्रभावित किया है जैसे उनके भोजन में प्रोटीन की कमी में बढ़ौतरी, अध्ययन के दौरान लगने वाली भूख को शांत करना तथा सूक्ष्म तत्वों की कमी को पूरा करना आदि।

हरबिन्दर कौर[37] ने अपने शोध,''प्रोब्लम आफ प्राईमरी एजुकेशन इज प्रसीवड बाई पेरैंटसइन रिलेशन टू देयर इन्स्टीच्यूट टूवार्ड प्राईमरी एजुकेशन'' में बताया है कि शिक्षा उचित रूप से विकसित नही हो सकी और यह भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विफलता रही है। कौर ने प्राथमिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण माता पिता के नजरिए को ध्यान में रखकर किया। इस अध्ययन के माध्यम से उन्होंने पाया कि ज्यादातर माता पिता परीक्षा प्रणाली, रीति रिवाजों, पढ़ाने के तरीकों तथा रट्टा पद्धति मारना व अन्य मंहगें शिक्षा के सामान के प्रति नाराजगी

जाहिर करते हैं, क्योंकि कई प्रकार की वस्तुएं स्कूल में अनिवार्य होनी चाहिए। वह माता पिता की पहुंच से बाहर हैं जैसे कि बच्चों के खाने पीने से संबंधित और पोषक तत्व इत्यादि।

एस.पी. गुप्ता[38] ने अपने लेख, ''हरियाणा प्रगति के पथ पर'' में बताया है कि देश में पोषण, शिक्षा तथा विस्तार के कार्यक्रम को मजबूत करने और राज्य के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के पोषण, आहार तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान में बढ़ौतरी के लिए 1998 में ''समेकित पोषण शिक्षा योजना'' आरम्भ की गई। एक वर्ष में 300 दिनों के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 10–12 ग्राम प्रोटीन के साथ साथ 300 ग्राम कैलोरी प्रदान करने के लिए वर्ष 2002–04 में ''अनुपूरक पोषण कार्यक्रम'' आरम्भ किया गया। 6 से 11 वर्ष के स्कूली बच्चों के लिए दोपहर का भोजन कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इसके तहत बच्चों को वर्ष में 200 दिनों के लिए 8 से 10 ग्राम प्रोटीन तथा 300 कैलोरी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया जो कि विद्यालयी शिक्षा के लिए एक अहम भूमिका निभाता है।

टाटा कन्सलटैंसी सर्विस[39] ने अपने शोध ''एक्सपैक्टिड एवालुऐशन ऑफ दी इम्प्रूवट मिड डे मील प्रोग्राम इन गुजरात''में बताया है कि मध्याह्न भोजन योजना ने स्कूलों में बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत योगदान दिया है। गुजरात के दस जिलों में 30 लाख प्राईमरी स्तर के विद्यार्थियों को आयरन, विटामिन आदि के कैप्सूल दिए गए, जिससे विद्यार्थियों की ऊंचाई में 1.1 सै.मी. और वजन 1.1 कि.ग्रा. की बढ़ौतरी हुई। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और उनमें पौषक तत्वों की कमी भी पूरी हो गई । यहॉ तक कि बच्चों के रतौंधी रोग में भी सुधार हुआ। उदाहरण के लिए यह संख्या 67 प्रतिशत से 34 प्रतिशत रह गई। यह सब उनमें रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं की कमी से ही सम्भव हुआ। इसका श्रेय मध्याह्न भोजन को दिया जा सकता है।

ज्योति शर्मा और कमलेश शर्मा[40] ने अपने शोध, ''मिड–डे–मील योजना पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के विचारों का अध्ययन'' में बताया है कि मध्याह्न भोजना योजना का प्राईमरी स्कूल के बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यही बताना था कि क्या प्राईमरी स्कूलों के बच्चों में पोषक तत्वों का भी प्रभाव पड़ा है। बच्चों का सम्पूर्ण विकास करने के लिए यह

कार्यक्रम सफल रहा। अभावग्रस्त बच्चों को इस योजना का सबसे अधिक लाभ हुआ। कुपोषित बच्चों का रोगग्रस्त होने पीछा छूटा और उनका शारीरिक तन्त्र काफी हद तक पोषित हुआ।

अश्वनी[41] ने अपने लेख,''मिड–डे–मील स्कीम इन्टीग्रेटड चाईल्ड डिवैलपमैंट''में बताया है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त केन्द्र जिनमें आंगनवाड़ी भी शामिल हैं, में भी मध्याह्न भोजन योजना के तहत बच्चों को भोजन प्रदान किया जाता है। यह भोजन उन्हे बिना किसी फीस के अर्थात निः शुल्क दिया जाता है। इसके द्वारा बच्चों का मार्ग दर्शन भी किया जाता है जो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी है। यह योजना 1925 से शुरू हुई और तभी से इस योजना के अन्तर्गत स्कूलों में बच्चों को मुफ्त सुविधाएं अर्थात भोजन प्रदान कर रही है।

बी.के. पटनायक और सुनील अग्निहोत्री[42] ने अपने शोध,''मिड डे मील प्रोगाम इन हिमाचल प्रदेश ए डिस्ट्रिक लेवलएम. डी.एम. एनालिसिस'' में बताया है कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना सबसे पहले 1995 में शिशु केन्द्र/प्राईमरी स्कूलों में शुरू की गई तब से कई राज्यों में बच्चों को पका हुआ भोजन दिया जाने लगा। 28 नवम्बर 2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2002 से देश के सभी राज्यों की सरकारों को प्रत्येक राज्य में यह योजना पुनः लागू हो गई। पांच साल बाद अमेरिका ने प्राईमरी स्कूलों में फीडिंग प्रोग्राम का समर्थन किया। इस योजना का उद्देश्य था, स्कूलों में विद्यार्थियों की सख्या बढ़ाना और उनकी उपस्थिति को बनाए रखना और काफी हद तक बच्चों को पोषक तत्व को प्रदान करना। इस योजना को दोबारा 2007–08 में लागू किया गया और भोजन पकाने पर 200 रूपये कम से कम प्रत्येक बच्चे पर खर्च किए गए ताकि प्रत्येक बच्चे को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन मिल सके। इस योजना के परिणामस्वरूप यह ज्ञात हुआ कि गांवों में 8.1 बच्चों की सख्या में बढ़ौतरी 3.2 प्रतिशत शहरों में बढ़ौतरी हुई।

जयरमन राजश्री, स्मिरथ डोरा[43] ने लेख, ''दि इम्पैक्ट आफ प्राईमरी स्कूल इनरोलमैंट एसीडैंस फ्रार्म इण्डिया मिड–डे–मील ए स्टडी'' में निष्कर्ष निकाला है कि 2001 के अंत तक माननीय उच्चतम न्यायालय ने राज्य के सभी प्राईमरी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन देने का निर्देश दिया और इस योजना के तहत

भारत में 1.20 मिलियन बच्चों ने प्राईमरी स्कूलों में अपना नामांकन दर्ज करवाया और इस योजना को पूरे विश्व में सरहाया गया। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार द्वारा देश के राज्यों को जो निर्देश सरकारी स्कूलों को दिए गए परन्तु इनमें निजी स्कूलों को शामिल नही किया गया। 2002–04 तक प्रत्येक वर्ष 50 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों के नामांकन बढ़े। इस शोध में यह परिणाम आया कि प्राईमरी स्कूलों में और भी अधिक नामांकन बढ़ रहे हैं।

मन्जू नरूला[44] की पुस्तक, ''बैस्ट प्रैक्टिस इन एडोप्ट मिड–डे–मील स्कीम ए केस आफ दी स्टडी आफ हरियाणा'' में बताया है कि मध्याह्न भोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों के विकास के लिए पोषक तत्वों को बढ़ाना है। इस योजना को 2004 में पुनः लागू किया गया। इस योजना में निर्देश दिए गए कि प्रत्येक बच्चे को चाहे वो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में हो उन्हें पका हुआ भोजन अवश्य दिया जाए। वह बच्चे जो ए.आई.ई./ई.जी.एस. केन्द्रों में पढ़ रहे हैं, उन्हे भी इस योजना में शामिल किया गया औरयह निर्धारित किया कि 300 ग्राम कैलोरी और 8–12 ग्राम प्रोटीन प्रत्येक बच्चे को अवश्य दिया जाए।

मोंटेक सिंह आहूवालिया[45] ने अपने विश्लेषण ''इन्टीग्रेडिटड आहार विद मिड–डे–मील स्कीम'' के तहत 28 फरवरी 2012 को बताया कि ''आहार प्रोजैक्ट'' के नाम से मिड–डे–मील योजना के द्वारा बच्चों को पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाया जाए। 2006 में मध्याह्न भोजन योजना को बच्चों की आयु के अनुसार भोजन की मात्रा निर्धारित की गई थी जैसे कि मौसमी सब्जियां और कुछ अन्य पोषक तत्वों से भरपूर आहार को भी इस योजना में शामिल किया जाए।

अनीता पठानिया [46] ने अपनी पुस्तक, ''प्राईमरी एजुकेशन एण्ड मिड–डे–मील स्कीम परिणाम और चुनौतियां'' में लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना बच्चों का विकास करती है और इस योजना का प्रभाव इसको लागू करने वाली संस्थाओं और प्रशासनिक अधिकारियों, अध्यापकों और बच्चों के माता पिता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके सकारात्मक परिणाम में वृद्धि हुई है और इस पुस्तक के अंत में उन्होंने बताया है कि इस योजना के कारण बच्चों का नामांकन बढ़ा है और उनमें पोषक तत्वों की वृद्धि हुई है। इस योजना का सामाजिक समानता पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है।

मुकुल अक्षय[47] ने अपने आर्टिकल,''मिड–डे–मील इन इण्डिया'' में लिखा है कि अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और हरियाणा के अलावा सभी राज्यों में 6–14 वर्ष के बच्चों को इस योजना को शामिल किया गया। इस योजना को लागू करने का श्रेय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय को जाता है। इसका दिलचस्प सच यह रहा कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जातियों और वर्गो का जो भेदभाव चल रहा था, उसमें कुछ हद तक कमी हुई। बहुत से राज्यों में कई विश्वविद्यालय जैसे टाटा इन्स्ट्रीच्यूट आफ सोशल साईंस, जामियामीलिया इस्लाममिया और आई. डी.एम. बैंगलौर आदि ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में बच्चों को गर्मागर्म और ताजा भोजन तथा अन्य पोषक तत्व जिसमें अण्डे और हरी सब्जियां, फल जिनमें पोषक तत्व हैं, वे दिए जाएं ।

श्री वेकेंटरमन[48] ने अपने पेपर,''आर्टिकल ऑन ए–मील प्रोग्राम इन इण्डिया'' में लिखा है कि बच्चे देश का भविष्य हैं और बच्चों के स्वास्थ्य में देश के हित है। मानव विकास मन्त्रालय की रिपोर्ट बताती है कि 47 प्रतिशत बच्चे कम वजन के रोग से पीड़ित हैं और 34 प्रतिशत भारतीय 40 रूपये से भी कम प्रतिदिन भोजन पर खर्च करते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए मिड–डे–मील को लागू करना अति आवश्यक था। कोई भी राज्य किसी योजना पर निवेश करता है ताकि बच्चों का विकास हो सके लेकिन बदकिस्मती से यह योजना देश के अधिकतर भागों में सही तरीके से नहीं पहुंच पाई है।

वाराणसी[49] ने अपने आर्टिकल,''आन ईवल्यूएशन आफ मिड–डे–मील स्कीम इन स्कूलज'' में बताया है कि सरकारी स्कूलों में इस योजना को लागू करना काफी हद तक मुश्किल रहा है, क्योंकि कई जगह पर सूखे की समस्या बहुत अधिक थी। मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की रिपोर्ट बताती है कि मिड–डे–मील प्रत्येक जिले में क्रांति का रूप ले चुका है और वह सरकारी स्कूल जो शरणार्थी क्षेत्र में आते हैं उन स्कूलों में भी बच्चों को भोजन दिया जाता है। और उसका प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

अमृत्यसेन[50] ने अपने अध्ययन,''कुकड मिड–डे–मील प्रोग्राम इन वैस्ट बंगाल ए स्टडी इन वीर भूमि डिस्ट्रिक्ट'' में लिखा है कि इस योजना ने प्राईमरी एजुकेशन में सार्वभौमिकता लाने में मदद की है। इससे स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ा है

और बच्चों की संख्या विद्यालयों में अधिक बनी रही है। इस योजना से लड़कियों की संख्या और विशेषकर अनुसूचित और जनजातियों के छात्रों की संख्या में काफी हद तक वृद्धि हुई है। यह योजना कक्षा कक्ष में लगने वाली भूख को समाप्त करने में सहयोगी रही है। पके हुए मध्याह्न भोजन ने बच्चों को बहुत से पोषक तत्व प्रदान किए हैं और विशेषकर उन बच्चों को सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे और इस योजना से सामाजिक संकीर्णता काफी हद तक दूर हुई है।

आशा रानी और विष्णु भगवान[51] ने अपने लेख ''मिड–डे मील स्कीम इन इंडियाः ए बर्डज़ आई वयू'' में मध्याह्न भोजन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अध्ययन के साथ–साथ योजना के उद्देश्यों पर भी प्रकाश डाला है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करना है और साथ ही बच्चों में भाईचारे की भावना का विकास करना भी है।

सरोज[52] ने अपने लघु शोध ''हरियाणा के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का मूल्यांकन''में बताया है कि लीवगर, बरायल ने कहा है कि स्कूल में उपस्थिति तथा दाखिले पर ''स्कूल फिडिंग प्रोगाम'' का प्रभाव पड़ता है। एस.एफ.पी. ने 1936 में 100 स्कूलों को कवर किया जो सम्पूर्ण रूप से प्राथमिक विद्यालय थे। जिन स्कूलों में एस एफ पी आरम्भ था, वहां का उपलब्धि स्तर ऊँचा था। इस कार्यक्रम के द्वारा उन स्कूलों का जिनमें भोजन उपलब्ध नहीं था, अन्तर अनुभव किया तथा पाया कि फिलिपिन्स तथा कौर्निया में स्कूल फीडिंग प्रोगाम के अर्न्तगत छात्रों की उपस्थिति ज्यादा थी। छात्र भोजन खाने के लिए स्कूल में आते है तथा दूसरा दाखिला का स्तर बढता है, इससे एनरोलमैंट भी ज्यादा होता है।

एन.डी.टी.वी. इण्डिया लाइव खबर[53] के इस लेख,''मध्याह्न भोजन योजना'' में मिड–डे मील के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया है। जहॉ देश के अलग–अलग शहरों से मिड डे मील के बारे में शिकायत की खबरें मिल रही है। वहीं मुम्बई के गोरेगांव इस्ट फिल्म सीटी हाई स्कूल में बच्चों को जो खाना मिल रहा है वे उससे काफी खुश हैं। इस मध्याह्न भोजन योजना को जारी रखा जाए।

एन.डी.टी.वी. इण्डिया लाइव खबर[54] के लेख,''भोजन के लिए अध्यापकों की जिम्मेवारी नहीं''में इलाहाबाद/पटना/बिहार के एक स्कूल में मध्याह्न भोजना

योजना के तहत दिए गए भोजन को खाने से हुई 23 बच्चों की मौत के कुछ दिनों के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का काम छात्रों को पढ़ाना है न कि भोजन बनाने की प्रक्रिया की निगरानी करना। न्यायालय की यह टिप्पणी इसलिए अहम है क्योंकि पूरे बिहार में करीब 3 लाख प्राथमिक स्कूल शिक्षकों ने मध्याह्न भोजन योजना का बहिष्कार किया। इन शिक्षकों का कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत काम में लग जाने से बच्चों को पढ़ाने का उनका काम प्रभावित हो रहा है न्यायधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की खण्डपीठ ने कहा–अध्यापकों का काम पढ़ाना है न कि खाना खिलाना। इस योजना को अलग तरह से लागू किया जाना चाहिए।

लेटेस्ट न्यूज हिन्दी[55] के लेख, ''मध्याह्न भोजन योजना से होते है दस करोड़ से ज्यादा लाभान्वित'' में बताया है कि स्कूलों में खाना देने वाली मध्याह्न भोजन योजना दुनिया में सबसे बडी योजना है जिसका लाभ लगभग 10 करोड 50 लाख बच्चों को हर साल मिलता है। विश्व बैंक द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मध्याह्न योजना बच्चों के लिए विश्व में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण योजना सिद्ध हुई है। इसके अलावा 'जननी सुरक्षा योजना' और 'महात्मा गाँधी राष्ट्रीय योजना' भी अपनी दुनिया की सबसे बड़ी योजना साबित हुई है, परन्तु मध्याह्न भोजन योजना का इनमें विशेष महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से शिक्षा प्रक्रिया को गति मिलती है।

इमरान कुरैशी ने अपने लेख[56] ''स्कूलों में मिड डे मील के बदले पैसे'' में इस समस्या पर विचार करते हैं कि क्या भोजन के बदले में पैसे दिए जाने चाहिए? क्या सरकार छह से 14 साल की उम्र के बच्चों से यह उम्मीद करती है कि वह उन्हें पैसे दे दें और स्कूलों की गैर जिम्मेदारी की वजह से खाने की व्यवस्था ये बच्चे खुद करें? स्कूलों के पास कोई विकल्प नहीं हैं? नैशनल इंस्टीच्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के प्रोफैसर नरेन्द्र पाणि एक दूसरा मुद्दा उठाते हैं। वे कहते हैं कि पहले तो सरकार बच्चों को पैसे दे, जिन पैसों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवता पर निगरानी रखने का कोई तरीका नहीं है'' इसकॉन की मदद से अक्षय पात्र फांऊडेशन चलता है, यह फांऊडेशन 12 राज्यों के 11,000 स्कूलों में 15 लाख से ज्यादा बच्चों को दोपहर का

भोजन खिलाता है। फांऊडेशन के ट्रस्टी मोहन दास का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती है–उन्हें पैसे देना। इस मामले को नहीं समझना और उसे उलझाना है'' अर्थव्यवस्था पर असर। वे कहते हैं कि अगर बच्चों को भोजन देने की बजाय पैसे दिए जाए तो वे उसे रेस्तरां में खर्च कर देंगे, जिससे रेस्तरां मालिकों की आय में वृद्धि होगी, जिसे वोमदिरा में खर्च करेंगे। कर्नाटक के खाद्य मंत्री दिनेश गुंडू राव पई की बात से सहमत है कि बच्चों को पैसे देना व्यावहारिक रूप से भी अच्छा नहीं है।

मनोज मिश्रा[57] ने अपने लेख ''रा''ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मध्याह्न भोजन की निगरानी के लिए समिति'' में बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मध्याह्न भोजन की योजना की निगरानी के लिए उच्चाधिकार समिति के गठन के प्रस्ताव को 10 अक्तूबर 2013 में मंजूरी दी। उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति को गठन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जतिन प्रसाद की अध्यक्षता में की गई। उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति के महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। इस निगरानी समिति का मुख्य कार्य आपूर्ति किए गए भोजन की गुणवत्ता की जांच करना है। यह समिति मध्याह्न भोजन योजना की प्रभावी निगरानी के साथ–साथ इसकी देख–रेख भी करेगी, क्योंकि मध्याह्न भोजन योजना के तहत गुणवत्ता एवं स्वच्छता पर किसी भी प्रकार की अनदेखी नहीं की जा सकती। यह समिति राज्यों को किसी भी तरह की कमी के बारे सचेत भी करेगी।

शर्मा[58] ने अपने लेख, ''अब हर महीने मिड–डे मील की होगी जांच'' में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत मिलने वाला भोजन की गुणवता व पोषक मानको को सुनिश्चित करने के लिए एक मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा हर महीने उसकी जांच करने संबंधित व्याख्या की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मिड डे मील प्रदान किया जाता है। नियमों के अनुसार, स्कूल जारी रहने के लगातार तीन दिनों तक यदि बच्चों को पका हुआ मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है तो राज्य सरकार इससे संबंधित व्यक्ति या एजेंसी को जिम्मेवार ठहराएगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं और छह साल से चौदह साल के बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। प्राथमिक कक्षा

में 450 कैलोरी व 12 ग्राम प्रोटीन और उच्च प्राथमिक कक्षा में 700 कैलोरी व 20 ग्राम प्रोटीन क्षमता से युक्त गर्म भोजन विधार्थी को देना आवश्यक है जिला उपायुक्त के साथ खुद मौलिक शिक्षा एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी भी मिड डे मील की जांच करेंगे।

सचिन जैन[59] ने अपने लेख, ''मध्याह्न योजना बच्चों की योजना के बडे सवाल'' में मध्याह्न भोजन योजना की महत्ता के बारे में टिप्पणी की। उनका कहना है कि क्या वास्तव में मध्याह्न भोजन योजना गरीबी और उपेक्षा के साये में जी रहे बच्चों को शिक्षा और पोषण का बुनियादी अधिकार दिला रही है? मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के गोठरा कपूर गांव के सरकारी स्कूल में 108 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति है और वह इस गांव से 22 कि0 मी0 दूर रहता है तथा माह में दो से तीन दिन ही स्कूल में आता है। यही वे दिन होते है जब बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल पाता है। इससे यह पता चलता है कि मध्यप्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाने, भ्रष्टाचार, भोजन की गुणवत्ता और मात्रा में कमी और अन्य क्रियान्वयन संबंधी दिक्कतों के कारण योजना की सफलता के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के चेल फाक्स अध्ययनकर्त्ता निकोलस राबिन्स द्वारा मध्यप्रदेश में किए गए अध्ययन में बडबानी जिले के सेधवा विकास खण्ड के चार शिक्षकों ने स्पष्ट कहा कि प्रशासनिक स्तर पर दाल, सब्जी और मसाले के लिए स्वीकृत राशि से दस फीसदी हिस्सा अफसरों के लिए तय है। लेखक का कहना है कि यह योजना केवल समुदाय और पंचायत जनसामान्य की सहभागिता से ही सार्थक हो सकती है।

रामेश्वर बेडा[60] ने अपने लेख, ''मिड डे मील में अब दूध भी'' में बताया है कि मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब और ज्यादा पोषण मिलेगा क्योंकि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्कूली बच्चों को मिड–डे मील में दूध देने का फैसला किया है।अब पंचायती राज विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। विभाग की ओर से मध्याह्न भोजन योजना के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए दूध की आपूर्ति संबंधी सर्वे किया जाएगा। बच्चों की स्मरण शक्ति तेज करने के लिए मिड–डे मील में बच्चों का टेट्रापिक मिल्क दूध भी दिया जाएगा। एक बच्चे को 150 से 200

मिलीलीटर तक दूध दिया जाएगा। आर सी डी एफ ने स्कूलों मे दूध सप्लाई करने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा, जिसे हरी झण्डी भी मिल चुकी है। इसके तहत दूध की खरीद सीधे संबंधित स्थानीय दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों से ही की जाएगी। रसोइए इसे गर्म करके बच्चों को पीने के लिए देंगे। इसके साथ–साथ और तो और स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के तहत गाय के दूध के अलावा दूध से बनी लस्सी, छाछ, घी के साथ मिल्क पाउडर भी देने का फैसला भी किया है।

मोनिका[61] अपने लेख,''मिड डे मील योजना'' में बता रही है कि एक बार तमिलनाड के मुख्यमंत्री कामराज ने गांव में कुछ बच्चों को अपनी गाय–भैसों के साथ देखा। उन्होंने बच्चों से पूछा–आप स्कूल क्यों नहीं जाते? एक बच्चा बोला–स्कूल जाने से क्या खाना मिलेगा? इस घटना के बाद ही मुख्यमंत्री ने 1960 में मिड–डे मील की शुरूआत की। बाद में 28 नवम्बर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया। शुरूआत में इस योजना को काफी सफलता मिली, परन्तु धीरे–धीरे यह योजना भी अन्य योजनाओं की तरह भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। हर रोज़ अखबार में ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती है। अगर सख्ती से सही रूप में ऐसी योजनाओं का संचालन नहीं किया जा सकता है तो मासूमों की जिन्दगी की कीमत पर चल रही ऐसी योजनाओं का क्या फायदा? बेहतर है इन्हें बन्द कर दें। अन्य कई ऐसे विकल्प है जो बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए लालायित कर सकते है जैसेः – पकाए गए भोजन की जगह फल, बिस्कुट के पैकेट या ऐसी अन्य सामग्री वितरित की जा सकती है, या किताबें, वस्त्र, स्टेशनरी और नियमित रूप से आने वाले छात्रों को छात्रवृति दी जा सकती है। यदि जरूरी है तो सख्ती से इस योजना को लागू किया जाए।

खबर एन डी टी वी[62] के लेख ''जब बिल क्लिंटन ने स्कूली बच्चों को खाना परोसा'' में मध्याह्न भोजन योजना की महत्ता के बारे में बताया गया कि किस प्रकार एक विदेश आए पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जयपुर में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का निरीक्षण करने के लिए गैर–सरकारी संस्था द्वारा संचालित उस एक रसोई का दौरा किया। उन्हें रसोई में पकाए गए खाने ने इतना प्रभावित किया कि उन्हें स्वयं बच्चों को खाना परोसा और तारीफ भी की। और एन

जी ओ ने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत यह संस्था देशभर में 10 लाख से अधिक स्कूली बच्चों को खाना खिलाती है।

विकास[63] ने अपने लेख,''अब स्कूलों में परोसा जाएगा गर्म और स्वादिष्ट भोजन'' में बताया कि स्कूलों में बच्चों को परोसे जाने वाला मध्याह्न भोजन अब ठण्डा नही गर्म रहेगा। इस संबंध में केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके अनुसार बच्चों को परोसे जाते समय भोजन का तापमान 65 डिग्री सेल्यिस होना अति आवश्यक है और साथ में भोजन स्वादिष्ट भी हो।

रत्नानिधि रामेश्वर[64] के लेख ''शिक्षा के लिए भोजन'' में भोजन के महत्त्व के बारे में बताया गया है कि बच्चों के लिए शिक्षा के साथ–साथ मध्याह्न भोजन की कितनी आवश्यकता है। इस संगठन जिसका नाम रत्नानिधि है, भारत के उन करोड़ो बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाता है, जिनके माता पिता या अभिभावक बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं कर पाते। अधिकतर बच्चे इस वजह से स्कूल में नहीं जा पाते हैं क्योंकि वे अपने माता–पिता या परिवार की आय बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। रत्नानिधि संगठन एक चेरिटेबल ट्रस्ट है। इनके द्वारा शिक्षा के लिए भोजन कार्यक्रम के तहत रोजाना संगठन के रसोईघर में खाना तैयार होता है। यह भोजन उन बच्चों को वितरित किया जाता है जो औपचारिक और अनौपचारिक कक्षाओं में पढ़ते हैं।इस कार्यक्रम से स्कूलों में बच्चों की संख्या में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। इसके साथ ही अनुपस्थिति में भी कमी आयी है। 1998 से अब तक यह संगठन 2.5 करोड बच्चों को भोजन दे रहा है।

सचिन जैन[65] ने अपने लेख ''मध्याह्न भोजन योजना को बचाइये'' में मध्याह्न भोजन योजना का गरीब व अन्य भूखे बच्चे के लिए क्या महत्व है? इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार के सारण जिले में नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिए गए भोजन में ज़हर होने के कारण 28 बच्चों की मृत्यु हो गयी। शायद इससे भी ज्यादा और इस घटना के बाद पहला तर्क दिया गया कि यह योजना बेकार है। दूसरा तर्क स्कूल में बच्चे को खाना देने के लिए जो भोजन दिया जाता है उसकी गुणवता अच्छी नहीं। तीसरा इस योजना में खूब भ्रष्टाचार है। चौथा बच्चों का स्कूल में बर्तन लेकर जाना

मानों भीख मांगने जा रहे है। पांचवा इस योजना के तहत भोजन के खर्च राशि उनके खाते में क्यों नहीं जमा करवा देते है। परन्तु वे बच्चों की उस पीडा को महसूस ही नहीं कर पाते है जो भूख के साथ जीते हैं। इस योजना के सन् 1996 में एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन से यह पता चला कि स्कूल जाने वाले 3 करोड़ गरीब बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं और इस योजना से उन्हें खाना मिलता हैं। इस योजना को प्रभावी बनाने तथा शिकायत कम करने के लिए सरकार, पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा कोई उचित कदम उठाया जाना चाहिए।

हिमालय एक्शन रिसर्च सैन्टर[66] के लेख,''मिड डे मील कार्यक्रम''में स्कूलों में जारी मध्याह्न भोजन योजना पर प्रकाश डाला गया है। मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा15 अगस्त 1995 को प्रारम्भ की गयी। इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले विद्यार्थियों में 80 प्रतिशत उपस्थिति पर 100 ग्राम प्रतिदिन की दर से माह में 3 किलो ग्राम खाद्यान उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में इस योजना के कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड–डे मील उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके उद्देश्य हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध करवाना तथा स्वास्थ्य में सुधार लाना, बच्चों को विद्यालय की ओर आकर्षित करना, योजना के माध्यम से सामाजिक समन्वय को मजबूती प्रदान करना, लिंग भेद–भाव कम करने का प्रयास करना, नामांकन में वृद्धि, उपस्थिति, ठहराव एवं बच्चों के शिक्षण स्तर में वृद्वि के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना। विद्यालय में संबंधित गांव के बी.पी.एल. परिवार से व विद्यालय में पढ़ रहे किसी एक बच्चे की माता को भोजन पकाने और खिलाने का दायित्व भोजन माता का चयन ग्राम शिक्षा विद्यालय प्रंबधन समिति द्वारा किया जाता है।

ट्रिब्यून[67] के लेख, ''माताएँ खुद जांचेगी'' में सरकार द्वारा चलाई गई मध्याह्न भोजन योजना के तहत लिए गए फैसले के बारे में बताया गया है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिड–डे मील में कौन–सा भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है। अब इसकी जांच खुद बच्चों की माताएं खुद ही करेगी। दोपहर को स्कूल में दिए जाने वाले भोजन का निरीक्षण करने का माताओं का अधिकार होगा। प्रदेश सरकार पहली बार 'मिड–डे मील' की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कदम उठाएगी। इसके तहत राज्य के मौलिक शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी

जिला शिक्षा अधिकारियों को हिदायतें जारी की गई हैं। जिन जिलों में इस्कॉन द्वारा सप्लाई किए मिडडे मील को भी भली–भांति चैक किया जाए। शिक्षा के अहम प्रशासनिक अधिकारी भी इसका औचक निरीक्षण करेंगे कि प्रत्येक जिला अस्पताल, डी.सी. आदि के फोन न0 विद्यालय में बोर्ड पर अवश्य लिखे हो।

प्रवीण शर्मा[68] के लेख,''मिड–डे–मील की जिम्मेवारी से मुक्त हुए मुखिया'' में स्कूलों में जारी मध्याह्न भोजन योजना के तहत नियमों व आदेशों संबंधित जानकारी दी है। मिड–डे–मील पर निगरानी की जिम्मेदारी अब स्कूल मुखियाओं की नहीं होगी।इस जिम्मेदारी से मुख्य शिक्षकों को मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह स्कूल का कोई अन्य शिक्षक तैनात कर दिया जाएगा। इससे संबंधित जिलाधिकारियों ने पत्र भी जारी कर दिया है। पहले मुखिया को ही मिड–डे मील पर ध्यान देना पड़ता था कि क्या भोजन बनाना है क्या वह अच्छा बना है या नहीं। इसके कारण स्कूल के बाकी कार्य पूरे नहीं होते थे। अब इसके अंतर्गत प्रत्येक स्कूल में किसी अन्य शिक्षक की डयूटी लगाई जाए। जिस शिक्षक को यह जिम्मेदारी दी जाए, उसका नाम व पद भी रिकार्ड में दर्ज होगा। यदि शिक्षक हल्के में लेगें तो उन पर कार्यवाही की जाएगी।

दैनिक जागरण[69] के लेख,''मिड डे मील योजना की अब आन लाइन मानीटरिंग'' में स्कूलों की कार्य योजना जो कि मध्याह्न योजना से सम्बंधित है पर जिक्र किया जा रहा है। इस लेख में बताया गया है कि राज्य में मिड–डे–मील योजना की अब ऑन लाइन मॉनीटरिंग होगी। विद्यालयों की वेबसाइट बताएगी कि हर रोज कितने बच्चे स्कूल पढ़ने आए और कितने बच्चों ने मिड–डे–मील खाया। इस नई व्यवस्था के लिए 66103 प्राथमिक विद्यालयों की वेबसाइट को सभी 38 जिलों के मुख्यालयों एवं हेड क्वार्टर से जोड़ा गया है। इस वेबसाइट पर मिड–डे–मील योजना से जुड़ी तमाम जानकारी उपलब्ध होगी। ये सब योजना के कार्यान्वयन में मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यह सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। वेबसाइट के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य शिकायतों का निवारण करना है, क्योंकि सरकार को मिली जानकारी के अनुसार 717 स्कूलों में राशि नहीं मिली। राशि की कमी के चलते मिड–डे–मील योजना बन्द है। ऐसे स्कूलों में दोबारा मिड–डे–मील शुरू करने के निर्देश सरकार ने दिए हैं।

जागरण जोश पत्रिका[70] के इस लेख,''मध्याह्न भोजन योजना केन्द्रीय राष्ट्रव्यापी योजना'' में राज्यों पर पड़ने वाले अलग–अलग प्रभावों का वर्णन किया है। मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक स्तर पर पोषण के लिए प्रारंभ की गयी राष्ट्रीय स्तर की योजना थी। शुरूआत स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। जिसे की राष्ट्र के 12 लाख स्कूलों में 11 करोड बच्चों की पहुँच तक के लिए बनाया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन राज्य तथा संघ शासित प्रदेशों में किया गया। और 2008–09 से देश के सभी उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी शुरूआत की गई। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में खाद्यान्न का स्तर भ्रष्ट अधिकारियों के कारण क्रियान्वयन बहुत अच्छा नहीं है, जबकि तमिलनाड में इसका प्रदर्शन किसी उपलब्धि से कम नहीं है।

गुप्ता[71] ने अपनी पुस्तक ''भारत में प्रारम्भिक शिक्षा स्वतंत्रता से पूर्व तथा पश्चात्'' में मध्याह्न भोजन योजना की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। दोपहर का भोजन प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोषाहार सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 से शुरू किया गया है। इस प्रोगाम से लगभग 12 करोड़ से अधिक बच्चे लाभ उठा रहे है। इस प्रोगाम की मुख्य विशेषताएँ अग्रलिखित है इस कार्यक्रमके तहत सभी सरकारी तथा सरकारी मद्द से चल रही पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चो को हर रोज मुफ्त दोपहर का भोजन दिया जाता है। कार्यक्रम के लिए भारत सरकार स्कूलों में रोज 200 ग्रा0 गेहूँ और 350 ग्रा0 चावल हर बच्चे के हिसाब से गेहूँ या चावल देती है। इसके अलावा अनाज को लाने ले जाने का खर्च अलग से दिया जाता है। हर रोज अलग–अलग खाना, जैसे दाल–भात, रोटी–सब्जी, सब्जी दलिया, चावल सांभर खीर परोसा जा सकता है। ताकि सब बच्चे मिल–जुलकर शौक से खा सकें।

सतीश देवधर व श्वेता मेहंदी रत्ता[72] के लेख,''मिड डे मील स्कीमः एक मूल्यांकन'' में बताया है कि स्वास्थ्य सुधार एवं निर्धन बच्चों की शिक्षा इन दो उद्देश्यों को लेकर भारत सरकार ने मिड डे मील स्कीम सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में आरंभ की है। इस स्कीम की प्रशासकीय एवं सभारतंत्र संबंधी जानकारी बहुत है इसलिए खाद्यान्न और धन प्रदान करना ही इसका विकल्प माना गया है। हम जानते हैं कि मात्र धन प्रदान आदि विकल्प ही भारतीय संदर्भ में

पूर्ण उचित नहीं है। कि इससे लक्षित परिवारों के मुखियाओं के द्वारा दुरूपयोग भी हो सकता है। हमें यह भी देखना है कि एम डी एम के माध्यम से दिया गया भोजन पूर्ण पोषण सुरक्षिताहार भोजन में विभिन्नता एवं सुविधा भी दी जाती है।

फीनान[73] ने अपने शोध पत्र,''शिक्षा प्राप्ति में भारत के मिड डे मील कार्यक्रम का प्रभाव व मूल्यांकन''में बताया है कि शैक्षिक उपलब्धता एवं आर्थिक कुशलता पूर्ण तब होती है, जब वे नितियाँ जो प्रभावशाली एवं कुशलता पूर्ण होती है– जो सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में द्रव्य संबंधी कमी ला देती है। 1995 में भारत सरकार ने ''स्कूल फिडिंग प्रोग्राम'' चालू किया ताकि प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके अन्तर्गत मिड–डे मील स्कीम लागू की गई। यह शोध पत्र प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की एनरोलमैंट पर मिड–डे मील स्कीम ने क्या प्रभाव डाला दिखाने के लिए लिखा गया है इस लेख में भारत के 2004 के सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों को आधार मानकर देखा गया है कि इस स्कीम का झुकाव उद्देश्य की पूर्ति हेतु कितना रहा। यह लेख दर्शाता है कि खासकर उन छात्रों की संख्या बढ़ी है जिनकी पृष्ठभूमि निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की थी। यह सरकार के इस दावे को स्थापित करता है कि शैक्षिक परिणाम इस स्कीम से बेहतर हुए हैं, दूसरे क्षेत्रों में भी इस के परिणाम उत्साहवर्धक देखने को मिलेंगे।

नन्दा साहू[74] ने अपने लेख,''उड़ीसा में प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का क्रियान्वयन एक सिहांवलोकन'' में नेशनल प्रोगाम ऑफ न्यूट्रिशनल स्पोर्ट, जिसे आमतौर पर मिडडे मील के रूप में जाना जाता है, पर प्रकाश डाला है। यह योजना भारत में सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है। इस स्कीम के तहत सभी कार्यदिवसों में विद्यालय जाने वाले छात्रों को मुफ्त दोपहर का भोजन दिये जाने का प्रावधान है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 12 लाख विद्यालयों के लगभग 12 करोड विधार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। उड़ीसा में मिड डे मील प्राथमिक विद्यालयों में प्रथम जुलाई 1995 से लागू की गई थी। अब यह कार्यक्रम लगभग सभी प्राथमिक विद्यालयों में चल रहा है। यह कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के विद्यालयों, विभाग और मास एजुकेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने इस कार्यक्रम के सही संचालन के लिए सुनियोजित विभागीय प्रबन्ध किए हुए हैं।

इस कार्यक्रम की देख रेख के लिए खण्ड स्तरीय, जिला एवं राज्य स्तरीय संचालन एवं अनुवेक्षण कमेटी भी बनाई गई है। मिड डे मील कार्यक्रम को अधिक अच्छा बनाने के लिए भिन्न–भिन्न प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं।

सविता मिश्रा[75] ने अपने लेख, ''मिड डे मील का सिक्किम में अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन'' में नेशनल प्रोगाम फॉर न्यूट्रिशनल स्पोर्ट टू प्राईमरी एजूकेशन एन. वी. एन. ए. पी. ई. पर प्रकाश डाला है जिसको मिड डे मील के नाम से भी जाना जाता है। मिड डे मील के लिए सिक्किम सरकार की प्रंशसा की गई है तथा साथ ही में इसकी कमियों को भी दर्शाया गया है। प्राथमिक स्कूल के प्रत्येक बच्चों को कच्चा चावल प्रति माह देकर सिक्किम राज्य से शुरू किया हुआ है। 28.11.2001 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार सभी राज्यों की सरकारों को निर्देश दिए गए थे कि प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को मिड डे मील के तहत पका हुआ भोजन देना है। इस लेख के अवलोकन का आधार गंगटोक और उसके आस–पास के ग्यारह प्राथमिक उच्चतर प्राथमिक विद्यालयों को लिया गया है जिनमें मिड–डे–मील की स्कीम चल रही है। मिड–डे–मील कार्यक्रम सरकार के उन सब कार्यक्रमों में सबसे अहम कार्यक्रम है जिसके द्वारा छात्रों को विद्यालयों तक लाने तथा विद्या अध्ययन करवाने, विशेषकर दिनभर के भोजन देने की एक पवित्र भावना रही है। साथ–साथ सभी स्कूलों में जाने योग्य बच्चों को स्कूल तक लाना, उनकी उपस्थिति को नियमित बनाए रखना तथा स्कूल छोड़कर जाने वाले छात्रों की संख्या को कम करना। छात्रों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन देना। मिड डे मील की प्रतिशतता को बढ़ाने में सिक्किम सरकार ने प्रशसंनीय कार्य किया है, फिर भी पूर्ण समय में धन का व्यय कम किया है।

कमलेश व सरकार व भट्टाचार्य[76] ने अपने लेख में, ''मिड डे मील के प्रति अध्यापकों का रवैया'' में मिड डे मील के महत्त्व को बताया है कि भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को नैशनल प्रोगाम ऑफ न्यूट्रिशनल स्पोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन को लागू किया। लेखक द्वारा बताया गया है कि प्रांरभ में यह योजना देश के 2408 खण्डों में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूलों के छात्रों को भोजन उपलब्ध करवाना था। इस कार्यक्रमके तहत 450 कैलोरी 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन कक्षा 1 से 5 तक छात्रों के प्रति छात्र के

हिसाब से दिया जाता था। अक्तूबर 2007 से यह स्थानीय ''नैशनल प्रोगाम ऑफ न्यूट्रिशनल स्पोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन'' से बदल कर मिड डे मील हो गई और कक्षा 6 से 8 तक छात्रों को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया।यह स्कीम कम से कम अपव्यय और उचित निगरानी की मांग करती है जैसे कि मां–बाप और अध्यापकों की देख रेख। इस लेख में लेखक का उददे्श्य बताना है कि इस स्कीम के प्रति अध्यापकों का क्या रवैया है और वे कैसी सोच रखते हैं?

विडियो वोलन्टरीज इम्पैक्ट इम्पावरिंग कम्यूनिटि वाइज[77] के लेख, ''मिड डे मील स्कीम की सफलता''में मिड डे मील प्रोगाम के महत्व के बारे में बताया गया है कि रायपुर प्राईमरी स्कूल में मुफ्त मिड डे मील के प्रावधान ने छात्रों की उपस्थिति और शिशु पोषकता में बहुत वृद्धि की है। सभी कार्य दिवसों में इसका मुख्य उद्देश्यतो छात्रों की कुपोषणता को दूर करना है ताकि बच्चों को दिन में कम से कम एक बार पौष्टिक भोजन मिल सके तथा उनकी उपस्थिति और दाखिले को भी बढाया जा सके। क्योंकि इस योजना के वितरण ने निः संदेह बच्चों की संख्या को भी बढाया है। इस स्कीम के कुछ और भी उद्देश्य थे, जैसे कि छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना, विभिन्न जातियों के छात्रों के बीच सामाजिक समरसता बढ़ाना तथा मिड डे मील पकाने को लेकर औरतों को रोजगार देना। निश्चित तौर पर यह स्कीम पूर्ण सफल नहीं रही परंतु फिर भी इस स्कीम को लेकर जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, उनमें काफी सफलताएं मिली हैं। जैसा कि हमारे कम्यूनिटी संवाददाता, छतीसगढ मिस्टर सारवत ने स्कूलों में जाकर पता लगाया। वहां भोजन की गुणवता संतोषजनक थी और छात्र उसे आनंद से ग्रहण करते पाए गए।

चंद शेखर सहाई[78] ने अपने लेख,''मिड डे मील स्कीम की उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ'' में मध्याह्न भोजन का महत्व बताया है कि भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने तथा समाज के दलित और पिछड़ी जातियों के छात्रों की विद्यालय संख्या में वृद्धि करने के लिए मिड डे मील की शुरूआत की थी। इससे विभिन्न जातियों और वर्गो के छात्रों में भाईचारें की भावना को बढाकर उनमें मित्रता की भावना को जगाया जा सकेगा। 2001 तक विभिन्न राज्यों में सूखा अनाज ही दिया गया। सभी प्रकार की उपलब्धियों के बावजूद इस स्कीम को लागू करने में काफी कठिनाइयाँ भी आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी खामी यह आ रही है कि इससे

अध्ययन/अध्यापन के समय निकायों की भी इसमें उपेक्षा की गई है। पक्षपात के काफी उदाहरण सामने आते रहे हैं। अभी मिड डे मील खाने वाले 23 छात्रों की मौत ने भी इस स्कीम पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस स्कीम की सफलता के लिए अभी और कदम भी उठाए जाने चाहिए।

दैनिक भास्कर[79] के लेख, ''हैफेड देगा मिड डे मील का अनाज'' में बताया गया है कि सरकार द्वारा विद्यालयों में चलाई जा रही मध्याह्न भोजन योजना के लिए अनाज का प्रबन्ध हैफेड द्वारा किया जाता है। सरकारी विद्यालयो में मिड डे मील योजना के तहत अब चावल व गेहूं की सप्लाई हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन विभाग (हैफेड) ही करेगा। अब तक यह काम कान्फैड के माध्यम से होता था सहकारिता मंत्री ने बताया है कि हैफेड के अधिकारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से स्कूलों के लिए सूचीबद्ध किए गए डिपो से गेहूं व चावल की सप्लाई के इंतजाम करेगा।नए दिशा–निर्देशों के तहत गेहूं व चावल की गुणवता की जांच एफ.सी.आई. व मौलिक शिक्षा अधिकारी व हैफेड के अधिकारी करेंगे।

दैनिक भास्कर[80] के लेख, ''गैस चूल्हे खरीदने को केन्द्र सरकार से मिले पैसों में घोटाला''में बताया गया हरियाणा में सरकार द्वारा मिड डे मील के तहत स्कूलों में भोजन बनाने के लिए गैस चूल्हे खरीदने के लिए जो रूपये दिए गए उसमें घोटाला किया गया। स्कूली बच्चों को दोपहर के भोजन में दाल, खिचड़ी देने की आड़ में लाखों रूपए का गबन हुआ, जिसमें अब तक 16 आफिसर पकड़ में आए हैं। विभागीय जाँच की पकड़ में आए अफसरों में पकड़े गए छह जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, इनमें से कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं बाकी दस अधिकारी परचेज कमेटी के मैम्बर रहे और ब्लॉक शिक्षा स्तर के अधिकारी है। केन्द्र सरकार से गैस–चूल्हे खरीदने के लिए हालांकि राज्य के सभी 9,200 प्राइमरी स्कूलों को वर्ष 2007 और 2008 में प्रत्येक विद्यालय को 2,300 रूपये दिए गए थे अर्थात राज्य को तकरीबन 21 करोड़ रूपये मिले थे। शिकायतों के आधार पर घपला अब तक अम्बाला, पंचकूला, सोनीपत, झज्जर, मेवात और गुरुग्राम जिलों में ही पकड़ में आया। स्कूल महानिदेशक द्वारा इन सब पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

आशा रानी[81] ने अपने लेख ''मध्याह्न भोजन योजनाः एक अवलोकन'' में मध्याह्न भोजन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया को विस्तार से बताया है तथा इससे संबंधित विभागों के विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों के स्तर के बारे में जानकारी देने का प्रयास भी किया है। प्रस्तूत लेख में मध्याह्न भोजन योजना की विशेषताओं, आवश्यकता व सिद्धान्त पर प्रकाश डाला है। इस लेख में शोधकर्त्री द्वारा शोध से प्राप्त निष्कर्षों का भी उल्लेख किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में आने समस्याओं तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं और ये सुझाव मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में बहुत हद तक उपयोगी सिद्ध होंगे।

मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य विद्यालय में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करना है और साथ ही बच्चों में भाईचारे की भावना का विकास करना भी है।

उपरोक्त साहित्य समीक्षा करने के बाद यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि इस योजना के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा के स्तर को सुधारने, विद्यार्थियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली है। पौष्टिक तथा गुणवत्तापरक आहार उपलब्ध करवाकर सरकार अपने जनकल्याणकारी दायित्व को बेहतर तरीके से निभा रही है। इसके पक्ष–विपक्ष में अनेक तर्क–वितर्क भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से उन अभिभावकों को भी प्रेरणा मिली है जो अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेजते थे। सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियां इसकी देखरेख में लगी रहती हैं। समय–समय पर इस कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाती है। कई खामियां इस योजना के रास्ते अड़चने डालती है परन्तु समीक्षा के आधार पर नए–नए सुधार कार्यक्रम भी तैयार किए जाते हैं। इस योजना को पूर्णतया लागू करने के लिए प्रशासन तथा आमजन का दायित्व भी बनता है।

1.7 अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- मध्याह्न भोजन योजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया का अध्ययन करना।

- मध्याह्न भोजन योजना का बच्चों की उपस्थिति पर प्रभाव का अध्ययन करना।
- मध्याह्न भोजन योजना के तहत अधिकारियों/कर्मचारियों, शिक्षकों व अभिभावकों के दृष्टिकोण को जानना।
- इस योजना के कारण शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर का अध्ययन करना।
- मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में वित्त की उपलब्धता व भ्रष्टाचार के स्तर को जानना।
- भिन्न–भिन्न स्तर पर सहयोग देने वाली संस्थाओं के कार्यकलापों का अध्ययन करना।
- मध्याह्न भोजन योजना को लागू करने में आने वाली बाधाओं के बारे में जानना।
- मध्याह्न भोजन योजना को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

1.8 परिकल्पनाएं

इस अध्ययन के लिए जिन परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है वे इस प्रकार हैं: –

- ऐसा लगता है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन में उदासीनता पाई जाती है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि यह योजना प्रभावोत्पादक तरीके से काम नहीं कर रही है।
- ऐसा लगता है कि मध्याह्न भोजन योजना के लिए आर्थिक संसाधन अपर्याप्त हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार पाया जाता है।
- ऐसा लगता है कि इस योजना के कारण बच्चों की उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- ऐसा प्रतीत होता है कि इस योजना के कारण विद्यार्थियों का अध्ययन प्रभावित होता है।

1.9 शोध पद्धति

वर्तमान शोध अध्ययन हरियाणा में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वन के स्तर को जानने पर और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान ढूंढने पर केन्द्रित है। शोधकर्त्री ने वर्तमान अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य का चुनाव किया है क्योंकि शोधकत्री हरियाणा राज्य की भाषा, संस्कृति और शैली से अच्छी तरह से परिचित है। वर्तमान अध्ययन के लिए हरियाणा राज्य के चार मण्डलों में से एक मण्डल हिसार के पांच जिलों हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी और जींद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वन के स्तर को जानने के लिए किया गया है।

वर्तमान शोध के लिए हिसार मण्डल के प्रत्येक जिले में से 2 खण्डों का चयन किया गया है। प्रत्येक खण्ड में से 4 प्राथमिक विद्यालय तथा 4 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चुना गया। प्रत्येक खण्ड में से 4 शहरी (2 प्राथमिक तथा 2 उच्च प्राथमिक) विद्यालयों तथा 4 ग्रामीण (2 प्राथमिक तथा 2 उच्च प्राथमिक) विद्यालयों का चुनाव किया गया है। वर्तमान अध्ययन के लिए आवश्यक आंकडों और सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु देव–निर्देशन प्रणाली का उपयोग किया गया है। वर्तमान शोध के लिए कुल 400 विद्यार्थियों, 160 अध्यापकों, 80 अधिकारियों/कर्मचारियों तथा 160 अभिभावकों से आंकड़े देव–निर्देशन प्रणाली द्वारा एकत्रित किए गए हैं।

शोध से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए प्राथमिक तथा द्वितीय स्तर के आंकड़ों को इकट्ठा किया गया है। प्राथमिक आंकड़े विद्यार्थयों व अभिभावकों से साक्षात्कार अनुसूचि द्वारा तथा अध्यापकों व अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रश्नावली विधि द्वारा एकत्रित किए गए हैं। द्वितीयक आंकड़ों के लिए समाचार–पत्र, मैगजीन, पुस्तकों, प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री, सरकारी रिपोर्ट, फाइलों और संबंधित विभागों से सूचनाएं एकत्रित की गई हैं। आंकड़ों को सारणी तथा चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है व आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए उचित सांख्यिकी तकनीकों का प्रयोग किया गया है।

1.10 अध्यायीकरण

1.10.1 प्रथम अध्यायः भूमिका

इस शोध प्रबन्ध के प्रथम अध्याय में शिक्षा का अर्थ, शिक्षा से अभिप्राय, भारत में शिक्षा का इतिहास, शिक्षा के विभिन्न आयाम, शिक्षा और मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा तथा इससे सम्बद्ध प्रमुख मूल तत्व, शिक्षा, अनुदेशन, विद्यालयीकरण, प्रशिक्षण, संविधान तथा प्रारम्भिक शिक्षा, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के स्तर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा की प्रकृति, भारत में माध्यमिक शिक्षा का विकास, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, शिक्षा के उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, कनिष्ठ स्तर, वरिष्ठ स्तर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य, मध्याह्न भोजन योजनाः एक दृष्टि में, मध्याह्न भोजन योजनाः हरियाणा राज्य के परिप्रेक्ष्य में, मध्याह्न भोजन योजनाः क्रियान्वयन प्रक्रिया, मध्याह्न भोजन योजना का सर्वेक्षण, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए मध्याह्न भोजन योजना, मध्याह्न भोजन योजनाः उद्देश्य, साहित्य समीक्षा, अध्ययन के उद्देश्य, परिकल्पनाएं, शोध पद्धति और अध्यायीकरण का स्पष्टीकरण किया गया है।

1.10.2 द्वितीय अध्यायः मध्याह्न भोजन योजनाः एक दृष्टि में

द्वितीय अध्याय में मध्याह्न भोजन योजनाः एक अवलोकन, मध्याह्न भोजन योजनाः विशेषताएं, मध्याह्न भोजन योजनाः आवश्यकता, मध्याह्न भोजन योजनाः सिद्धान्त, मध्याह्न भोजन योजनाः प्रार्दुभाव, मध्याह्न भोजन योजना तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, मध्याह्न भोजन योजना संबंधित प्रमुख नियम, खाद्य सुरक्षा भत्ता, मध्याह्न भोजन योजना की प्रबंधकीय व्यवस्था व संगठनात्मक ढाँचा, केन्द्र स्तर पर प्रबंधकीय व्यवस्था, केन्द्र स्तर पर संगठनात्मक ढाँचा, राज्य स्तर पर प्रबंधकीय व्यवस्था, राज्य स्तर का संगठनात्मक ढाँचा, जिला व खण्ड स्तर पर प्रबंधकीय व्यवस्था, जिला स्तर का संगठनात्मक ढाँचा, खण्ड स्तर का संगठनात्मक ढाँचा, स्थानीय स्तर की प्रबंधकीय

व संगठनात्मक व्यवस्था, स्कूल प्रबन्ध समिति, कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियां, कार्यक्रम क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा, मध्याह्न भोजन योजनाः विभिन्न आयाम, मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक भौतिक सुविधाएं, राशि का हस्तांतरण एवं समायोजन, अनियमितताओं के लिए जिम्मेवारी, खाद्यान्न का आबंटन, उठाव एवम् स्कूलों तक पहुँचाने की व्यवस्था, योजना के तहत पके पकाए भोजन की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन योजनाः रसोई सदस्य/कुक/हैल्पर सदस्य संबंधित नियम व दिशा–निर्देश, स्वयं सहायता समूह के रसोई सदस्य की पात्रता एवं चयन की प्रक्रिया, विद्यालयों के लिए रसोई सदस्यों की संख्या का निर्धारण, रसोई सदस्य के कार्य, रसोई सदस्य के मानदेय में कटौती करने एवं उसे हटाने संबंधित दिशा–निर्देश, रसोई सदस्य को दिये जाने वाले अवकाश, राज्य खाद्य गोदामों से विद्यालयों द्वारा प्राप्त खाद्य सामग्री की रसीद संबंधित आयाम, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतू राज्य खाद्य निगम गोदाम से यातायात प्रबंध से संबंधित आयाम, राज्य खाद्य निगम गोदामों से प्राप्त अनाज की विद्यालय में उतारने संबंधित आयाम, स्थानीय बाजार से खाद्य व अन्य खाद्य सामग्री की खरीद करने से संबंधित आयाम, खाद्य व अखाद्य पदार्थों की सुरक्षात्मक भण्डारण करने संबंधित आयाम, विद्यालय में भोजन पकाए जाने से संबंधित आयाम, भण्डारण खोलने के बाद रख–रखाव के संबंधित आयाम, भोजन पदार्थों की स्टॉक आवृति से संबंधित आयाम, सफाई वाले रसायनों का भण्डारण तथा प्रयोग करने से संबंधित आयाम, चावल व अन्य अनाज से भोजन को तैयार करना से संबंधित आयाम, भोजन को पकाने से संबंधित आयाम, भोजन को परोसने या वितरण से संबंधित आयाम, वितरण के बाद अवशेष बचे पके भोजन को फैंकने से संबंधित आयाम, सामान्य रख–रखाव से संबंधित आयाम, भोजन क्षेत्र की सरंचना, साफ–सफाई में प्रयोग होने वाले कपड़े, अच्छे, भण्डाघर की व्यवस्था करना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, साफ–सफाई, कपड़े एवं आभूषण, व्यक्तिगत आदतों से संबंधित आयाम, भोजन सामग्री का रखरखाव करने वालों का स्वास्थ्य, व्यक्तिगत साफ–सफाई, कपड़े एवं आभूषण, व्यक्तिगत आदतें, पानी के स्त्रोत एवं पानी की सुरक्षा से संबंधित आयाम, खाली चावल के थैलों के भण्डारण से संबंधित आयाम, दूसरे विद्यालयों से उधार लिए गए तथा चावल की रसीद प्राप्त करने से संबंधित आयाम, बाल एवं नवयुवक

की सुरक्षा एवं संरक्षण संबंधित आयाम, मध्याह्न भोजन योजना के उद्देश्य को पूरा करने से संबंधित आयाम, कार्य शुरू करने से पहले की साफ–सफाई से संबंधित आयाम, मध्याह्न भोजन योजना एवं गैर–सरकारी संगठन, गैर संरकारी संगठनः मानदंड, खाद्यान्न अनुदान से लेकर पके हुए भोजन तक, कार्यक्रम को पारदर्शी बनाए रखना, गैर संरकारी संगठनः इस्कॉन, गैर संरकारी संगठनः अन्नामित्तरा और गैर संरकारी संगठनः अक्षय पात्र फाउंडेशन का स्पष्टीकरण किया गया है।

1.10.3 तृतीय अध्यायः मध्याह्न भोजन योजनाः अध्ययन क्षेत्र के परिदृश्य में

तृतीय अध्याय में हरियाणा राज्यः एक परिचय, हरियाणा राज्यः ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, हरियाणा राज्यः साक्षरता आयाम, हरियाणा राज्यः हिसार मण्डल का परिचय, हिसार जिलाः विभिन्न आयाम, फतेहाबाद जिलाः विभिन्न आयाम, सिरसा जिलाः विभिन्न आयाम, जीन्द जिलाः विभिन्न आयाम, भिवानी जिलाः विभिन्न आयाम, हिसार मण्डलः अन्य आयाम, हरियाणा राज्यः विद्यालयी शिक्षा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजना तथा हरियाणा राज्य, मध्याह्न भोजन योजनाः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या (कक्षा 1 से 5), उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की वार्षिक संख्या (कक्षा 6 से 8), प्राथमिक विद्यालयों में जिलेवार विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 1 से 5), उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या (कक्षा 6 से 8), राज्य पोषाहार तथा व्यय मापदण्ड, मध्याह्न भोजन योजनाः व्यंजनों की सूची, मध्याह्न भोजन योजनाः सप्ताहिक आहार मीनू, मध्याह्न भोजन योजनाः संबंधित रिकार्ड, मध्याह्न भोजन योजना तथा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन योजनाः ऑन लाईन निर्देशन कार्यक्रम और मध्याह्न भोजन योजनाः विशिष्ट उपलब्धियाँ आदि के बारे में बताया गया है।

1.10.4 चतुर्थ अध्यायः मध्याह्न भोजन योजना का क्रियान्वयन

चतुर्थ अध्याय में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का विवरण, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत योजना का लाभ प्राप्त करने वाले प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का विवरण, मध्याह्न भोजन

योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में गेहूं/चावल अनाज का आंबटन से संबंधित विवरण, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्राप्त धनराशि और खर्च धनराशि का ब्यौरा, प्राथमिक विद्यालयों में आबंटित अनाज/गेहूं/चावल अनाज का खर्च/उपयोग संबंधित ब्यौरा, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रसोइया/कुक सदस्यों की संख्या का विवरण, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईया/कुक सदस्य का वेतन/लकड़ी/गैस–सिलैण्डर/कैरोसीन का खर्च से संबंधित ब्यौरा, मध्याह्न भोजन योजना के तहत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की संख्या का विवरण संबंधित ब्यौरा, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या का विवरण संबंधित ब्यौरा, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आबंटित अनाज, मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्राप्त धनराशि और खर्च धनराशि का ब्यौरा और प्राथमिक विद्यालयों में आबटिंत अनाज/गेहूं/चावल खर्च/प्रयोग आदि का ब्यौरा दिया गया है।

1.10.5 पंचम अध्याय: आंकड़ों का विश्ले"ाण

पंचम अध्याय में साक्षात्कार अनुसूची तथा प्रश्नावली से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण तालिकाओं के माध्यम से किया गया। इसमें आकड़ों को चार्ट द्वारा भी दर्शाया गया है। इसमें विद्यार्थियों, अध्यापकों, अभिभावकों व अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित विचार तथा राय को भी दर्शाया गया है।

1.10.6 छठा अध्याय: नि"d"ा एवं सुझाव

छठे अध्याय में निष्कर्ष, परिकल्पनाओं का सत्यापन और सुझावों को दर्शाया गया है। सुझावों में शोधकर्त्री द्वारा विद्यालय में प्राप्त हुए अपने अनुभवों के आधार पर सुझावों को प्रस्तुत किया है। इन सुझावों द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को अच्छा बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। जिससे इस योजना को ओर अच्छा बनाया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. सिकलीगर, पी.सी., ''मिड–डे–मील एण्ड स्कूल एजुकेशन प्लानिगं इम्पलीमैंटेशन एण्ड इफैक्टीवनैंस'', कनसपैंट पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011
2 साक्षरता और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, ए–रिपोर्ट, चण्डीगढ़, 2010–11
3. नारंग, सुनीता, ''वशिष्ठ शिक्षा'', कलियाणी पब्लिशर्ज, रोहतक, 2004
4. यादव एवं यादव, ''आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा,'' टण्डन पब्लिशर्ज, लुधियाना, 2005
5. असवाल, जी. एस., ''शिक्षा मनोविज्ञान'' विधानिधि पब्लिकेशन, दिल्ली, 2003
6. त्रिपाठी, शालीग्राम, ''भारतीय शिक्षा का इतिहास'' राधा पब्लिकेशन, 2005
7. बघेला, हेत सिंह, ''शिक्षा मनोविज्ञान'' राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 2002
8. कवि रत्न, विष्णु, ''बाल मनोविज्ञान'' अरूण प्रकाशन दिल्ली, 2006
9. सिंह, विनय, ''प्राचीन भारत में व्यवसायिक समाज और आर्थिक विकास'' क्लिोस बुक्स, नई दिल्ली–110002
10. अग्रवाल, जे. सी., ''भारत में प्रारभिंक शिक्षा स्वंतत्रता से पूर्व तथा पश्चात्'' शिप्रा प्रकाशन, दिल्ली, 2009
11. ओबरोई, एस. सी., ''बाल्यकाल और बालकों का विकास'' प्रकाशन लक्ष्मी बुक डिपो, दिल्ली, 2008
12. चितौडा, शशि, ''पूर्व प्राथमिक शिक्षा सिंद्वांत एवं विधियॉ'' राजस्थान प्रकाशन, जयपुर, 2000
13. यादव, एच.एस., यादव, सुधा और भाटिया, ''भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना एवं समस्याएं'' टण्डन पब्लिकेशन, लुधियाना, 1988
14. भटनागर, सुरेश, ''भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास'' आर एल बुक डिपो, मेरठ, 2008
15. सिंह, इन्द्रदेव, शर्मा, कमलेश, ''माध्यमिक शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार'' 20फर्स्ट सैन्चुयरी, पब्लिकेशन, 2003

16. वही
17. कुमार, चचंल और सचदेवा, एम. एस., ''21वीं शताब्दी के संदर्भ में भारत में माध्यमिक शिक्षा एक दृष्टि'' 20फर्स्ट सैन्चुयरी, पब्लिकेशन, 2007
18. निवेदिता, हुड्डा, एस. के., कविता, ''भारत में माध्यमिक शिक्षा का परिदृश्य'' विजया पब्लिकेशन, लुधियाना, 2008
19. गोयल, उर्मिला और गुप्ता, रेणु, ''प्राथमिक स्तर पर शिक्षक के कार्य'' शिप्रा प्रकाशन, जयपुर, 2010
20. विकीपीड़िया/आर्गेनाईजेशन/विकी/मिड डे मील स्कीम, 12 फरवरी, 2012 पृष्ठ संख्या 1–6
21. ''नैशनल प्रोगाम फॉर न्यूट्रीशन स्पोर्ट टू प्राईमरी एजुकेशन, मिड डे मील स्कीम, गाइड लाईन'', (HRD, SELD) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग), सितम्बर, 2006, पृष्ठ संख्या 2
22. भूख/मिड डे मील (एमडीएमएस) http://www.im4change.org/new/hindi.com
23. सीएजी परफार्मेंस ऑडिट ऑन नैशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रशनल स्पोर्ट टू प्राइमरी (मिड डे मील स्कीम), रिपार्ट संख्या पी.ए. 25, 2008
24. जिला मौलिक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, फतेहाबाद (हरियाणा), 2012
25. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, निदेशक हरियाणा सरकार पंचकुला,एक रिपोर्ट, 2011
26. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2006
27. जिला मौलिक प्राथमिक शिक्षा कार्यालय, फतेहाबाद, हरियाणा, 2012
28. रानी, आशा और भगवान, विष्णु, ''मिड–डे मील स्कीम इन इंडियाः ए बर्डज़ आई वयू'', रिमार्किंगः मल्टी–डिस्सीप्लीनेरी इंटरनैशनल जर्नल, सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपूर ISSN No. 2394-0344, वोल–1, इश्यू–1, जून, 2014, पेज नं. 17

29. वत्स, उमेश, ''मिड डे मील एक सकारात्मक कदम'' शिक्षा लोक, प्रकाशक, निर्देशक, विद्यालय शिक्षा, पंचकूलां, हरियाणा, 1 जनवरी, 2012, पृष्ठ संख्या 25–26

30. मैहता, डी.डी., ''टीचर्ज फक्शनस एट दी एलीमैंटरी स्टेज'' प्रकाशक, लक्ष्मी बुक डिपो, भिवानी (हरियाणा) 2010–11

31. चक्रवर्ती, सुदीप, ''फूड सिक्योरिटी एंड चाईल्ड लेबर'' दीप एंड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2011

32. सिंह, हरमीत, ''शिक्षा को बचाया जा सकता है'' प्रकाशक, सच कहूँ समाचार पत्र, सिरसा, हरियाणा, 4 मार्च, 2008 पृष्ठ संख्या 5

33. कुमार, सतीश, ''जिले के प्राथमिक विद्यलायों में मध्याह्न भोजन योजना संबंधी अध्यापकों, छात्रों तथा उनके अभिभवाकों के विचारों का अध्ययन'' लघु शोध प्रबन्ध, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरूक्षेत्र, 2006–07

34. शर्मा, अनीमा, ''सोशियो इकोनोमिक डिवेलपमैंट ऑफ इंडियन ट्राईबस'' मोहित पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2003

35. सक्सेना, आर.आर. एवं मित्तल, ''इम्पेक्ट आफ मिड–डे–मील प्रोग्राम आन एनरोलमैंट एण्ड रिटेन्शन एट दी प्राईमरी स्टेज'' प्रकाशक आर.लाल बुक डिपो, मेरठ, 2006

36. लोकहिड, ई. मोर्लिन, ''कन्डक्टड ए स्टडी ऐबस्ट्रेकस फरोम इम्प्रूविंग प्राईमरी एजुकेशन इन डिवेलपिंग कन्टरी''पब्लिकेशन वर्ल्ड बैंक आक्सफर्ड यूनिर्वसिटी प्रैस, ISBN 0-19-520872-2, नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1991, documents.worldbank.org

37. कौर, हरबिन्दर, ''प्रोब्लम ऑफ प्राईमरी एजुकेशन इज प्रसीवड बाई पेरैंटसइन रिलेशन टू देयर इन्स्टीच्यूट टूवार्ड प्राईमरी एजुकेशन'' पंजाब यूनिर्वसिटी, चण्डीगढ़, 1999

38. गुप्ता, एस.पी., ''हरियाणा प्रगति के पथ पर'' एस.पी. पब्लिकेशन, चण्डीगढ़, 2003

39. टाटा कन्सलटैंसी सर्विस, ''एक्सपैक्टिड एवालुऐशन ऑफ दी इम्प्रूवटड मिड डे मील प्रोग्राम इन गुजरातः ए स्टडी आफ मिड–डे–मील'' 1994, पृष्ठ संख्या 33–35

40. शर्मा, ज्योति और शर्मा, कमलेश, ''मिड–डे–मील योजना पर विद्यार्थियों, अभिभावकों और अध्यापकों के विचारों का अध्ययन'' लघु शोध प्रबन्ध, कुरूक्षेत्र यूनिर्वसिटी कुरूक्षेत्र, 2005

41. कुमार, अश्वनी, ''मिड–डे मील स्कीम इन्टीग्रेटड चाईल्ड डिवैलपमैंट'' दैनिक जागरण, समाचार पत्र, हरियाणा, 2010, पृष्ठ संख्या 3

42. पटनायक, बी.के., एवं अग्निहोत्री, सुनील, ''मिड–डे–मील प्रोग्राम इन हिमाचल प्रदेश ए डिस्ट्रिक लैवल एम.डी.एम.एनालिसिस'' पोलिटीकल एकोनोमी जनरल ऑफ इण्डिया, 1 जनवरी, 2011, पृष्ठ संख्या 1–5 (द फ्री लाईबैररी डॉट कॉम)

43. राजश्री, जयरमन और डोरा, स्मिरथ, ''द इम्पैक्ट आफ प्राईमरी स्कूल इनरोलमैंट एवीडैंस फ्रार्म इण्डिया मिड–डे–मील ए स्टडी'', द टाईम्स आफ इण्डिया, समाचार पत्र, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ संख्या 7

44. नरूला, मन्जु, ''बैस्ट प्रैक्टिस इन एडोप्ट मिड–डे–मील स्कीम–ए केस ऑफ द स्टडी ऑफ हरियाणा'' डिपार्टमैंट आफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली, जुलाई, 2006

45. आहूलवालिया, मोंटेक, ''इन्टीग्रेटिड आहार विद मिड–डे–मील स्कीम,''दैनिक जागरण समाचार पत्र, नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2012, पृष्ठ संख्या 3

46. पठानियां, अनीता, ''प्राईमरी एजुकेशन एण्ड मिड–डे–मील स्कीम–परिणाम और चुनौतियां'' दीप एण्ड दीप, पब्लिकेशन, नई दिल्ली, जनवरी, 2006

47. मुकुल, अक्षय, ''आर्टिकल आन मिड–डे–मील इन इण्डिया'' द टाईम्स आफ इण्डिया, समाचार पत्र, नई दिल्ली, अगस्त 13, 2007, पृष्ठ संख्या 8

48. वेकेंटरमन, ''आर्टिकल आन ए–मील प्रोग्राम इन इण्डिया'' द टाईम्स आफ इण्डिया, समाचार पत्र, नई दिल्ली, मार्च 03, 2008, पृष्ठ संख्या 4

49. वाराणसी, ''आर्टिकल आन ईवल्यूएशन आफ मिड–डे–मील स्कीम इन स्कूलज'', द टाईमस ऑफ इंडिया, समाचार पत्र, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ संख्या 5

50. सेन, अमृत्य, ''कुकड मिड–डे–मील प्रोग्राम इन वैस्ट बंगाल–ए स्टडी इन वीर भूमि डिस्ट्रिक्ट'' 2005 नैशनल प्रोगाम टू न्यूटीरिटेशनल स्पॉट टू प्राईमरी एजुकेशन, (HRD-SELD), सितम्बर, 2006, पृष्ठ संख्या 37

51. रानी, आशा और भगवान, विष्णु, ''मिड–डे मील स्कीम इन इंडियाः ए बर्डज़ आई वयू'', रिमार्किंगः मल्टी–डिस्सीप्लीनेरी इंटरनैशनल जर्नल, सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपूर ISSN No. 2394-0344, वोल–1, इश्यू–1, जून, 2014, पृष्ठ संख्या 14–18

52. सरोज, ''हरियाणा के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का मूल्याकंन'' एक लघु शोध प्रबन्ध, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, 2007

53. एनडीटीवी इंडिया लाइव खबर ''मध्याह्न भोजन योजना'' 19 जुलाई, 2013

54. एनडीटीवी इंडिया लाइव खबर ''भोजन के लिए अध्यापकों की जिम्मेवारी नहीं'' 25 जुलाई, 2013

55. ''मध्याह्न भोजन योजना से होते है दस करोड़ से ज्यादा लाभान्वित'' http://latestnewshindi.com/madhayan-bhojanyojna/1479/, पृष्ठ संख्या 2–3

56. कुरैशी, इमरान, ''स्कूलों में मिडडे मील के बदले पैसे'' बी.बी.सी. हिन्दी, समाचार पत्र, 6 अक्तूबर, 2015, पृष्ठ संख्या 1–5

57. मिश्रा, मनोज, राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने मध्याह्न भोजन निगरानी के लिए समिति गठित'' जागरण जोश, समाचार पत्र, 16 अक्तूबर, 2013, पृष्ठ संख्या 1–3

58. शर्मा, मनोज, ''अब हर महीने मिड–डे–मील की होगी जॉच'' अमर उजाला, समाचार पत्र, 13 दिसम्बर, 2015, पृष्ठ संख्या 3

59. जैन, सचिन, ''मध्यप्रदेश में मध्याह्न भोजन योजना बच्चों की योजना के बड़े सवाल'' मीडिया फॉर राईटस डाट आरगेनाजैशन/एजूकेशन/हिन्दी आर्टिकल/155, 13अप्रैल, 2014, पृष्ठसंख्या 1–2

60. बेडा, रामेश्वर, ''मिड डे मील में अब दूध भी'' डब्लयूडब्लयूडब्लयू.पत्रिका. कॉम/राजस्थानजोधपुर, 30 अक्तूबर, 2015, पृष्ठ संख्या 1–5

61. मोनिका, ''मिड–डे–मील योजना'' डब्लयू डब्लयू डब्लयू.हिन्दी थॉएटस.कॉम 19 जुलाई, 2013, पृष्ठ संख्या 1–2

62. ''जब बिल क्लिंटन ने स्कूली बच्चों को खाना परोसा'' खबर.एन डी टी वी. कॉम/टॉपिकमिड डे मील योजना, 6 जुलाई, 2015

63. विकास, ''अब स्कूलों में परोसा जाएगा गर्म और स्वादिष्ट भोजन'' मिडियाफॉरराईटसडॉटकाम, 19 जून, 2015

64. रत्नानिधि संगठन, ''शिक्षा के लिए भोजन'' डब्लयू डब्लयू डब्लयू रत्नानिधि आरग्रेनाइजेशन/कैटेगरी/फूड फॉर एजूकेशन, पृष्ठ संख्या 1–2

65. जैन, सचिन, ''मध्याह्न भोजन योजना को बचाइये'' राईट टू फूड कम्पेजियन, रोजी रोटी अधिकार अभियान ब्लॉक स्टाप डाट इन, 7 जुलाई, 2013, पृष्ठ संख्या 1–5

66. ''मिड डे मील कार्यक्रम'' डब्लयू डब्लयू डब्लयू डाट इनफो देव डाट इन, 5 अक्तूबर, 2015, पृष्ठ संख्या 1–2

67. ''माताएँ खुद जांचेगी'' दैनिक ट्रिब्यून समाचार पत्र, 8 जनवरी, 2016, पृष्ठ संख्या 3

68. शर्मा, प्रवीण, ''मिड डे मील की जिम्मेदारी से मुक्त हुए मुखिया'' दैनिक जागरण, मई, 2016, पृष्ठ संख्या 4

69. ''मिड डे मील योजना की अब आनलाइन मानींटरिंग'' दैनिक जागरण समाचार पत्र, हरियाणा, 7 जुलाई, 2015, पृष्ठ संख्या 3

70. ''मध्याह्न भोजन योजना केन्द्रीय राष्ट्रव्यापी योजना'' जागरण जोश पत्रिका, 11 सितम्बर, 2014, पृष्ठ संख्या 23–25

71. गुप्ता, एस., ''भारत में प्रारंभिक शिक्षा स्वंतत्रा से पूर्व तथा पश्चात्'' शिप्रा पब्लिीकेशन, दिल्ली, 2009

72. देवधर, सतीश मेहन्दी रत्ता, श्वेता, ''मिड डे मील स्कीमः एक मूल्यांकन'' जरनल ऑफ इण्डियन स्कूल ऑफ पोल्टीकल इकॉनोमी, वाल्यूॅम संख्या–22,एन. ओ. सी. 1–4, दिसम्बर–जनवरी, 2010, पृष्ठ संख्या 43–48

73. फीनान, फैडरिको, ''शिक्षा प्राप्ति में भारत के मिड डे मील कार्यक्रम का प्रभाव व मूल्यांकन''(फूड फार थॉटः इब्यूलेटिग दा इम्पैक्ट ऑफ इण्डियाज, मिड–डे–मील प्रोगाम आन ऐजूकेशन), लघु शोध, प्रबंध मई, 2012

74. साहू, नन्दा, ''उडीसा में प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का क्रियान्वयनः एक अवलोकन'' जरनल ऑफ एस. आर. जे. आई. एस., मई, 2015, वॉल्यूम संख्या 2/9, पृष्ठ संख्या 2170–2180

75. मिश्रा, सविता, ''मिड डे मील का सिक्किम में अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन'' इंटरनेशनल जनरल ऑफ हम्यूनीटिज एंड सोशल सांइस इन्वेंशन, वाल्यूॅम संख्या 2, 5 मई, 2013, पृष्ठ संख्या 58–63

76. सरकार, कमलेश और भटटाचार्य, ''मिड डे मील के प्रति अध्यापको का रवैया'' जरनल ऑफ रिसर्च डारैक्शन, वॉल्यूम संख्या–3, 1 जुलाई, 2015, पृष्ठ संख्या–25

77. ''मिड डे मील स्कीम की सफलता'' में विडियो–वोलन्टरीज इम्पैक्ट इम्पावरिंग कम्यूनिटि वाईज, अप्रैल, 2012, पृष्ठ संख्या 1–4

78. सहाई, चन्द्र शेखर, ''मिड डे मील स्कीम उपलब्धियॉ और चुनौतियॉ'' इन्टर नैशनल जरनल ऑफ हम्यूनिटिज एंड सोशल साईंस इन्वैंशन, वॉल्यूम संख्या–3, अक्तूबर, 2014, पृष्ठ संख्या 6–9

79. ''हैफेड देगा मिड डे मील का अनाज'', दैनिक भास्कर समाचार पत्र, हरियाणा, 1 अगस्त, 2011, पृष्ठ संख्या–3

80. मिड डे मील योजना, ''गैस चूल्हे खरीदने को केन्द्र सरकार से मिले पैसों में घोटाला'', दैनिक भास्कर समाचार पत्र, 7 फरवरी, 2013, पृष्ठ संख्या–3

81. रानी, आशा ''मध्याह्न भोजन योजनाः एक अवलोकनू'', श्रृंखला एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, ISSN No. 2349-980X, वोल–4, इश्यू–5, जनवरी, 2017, पृष्ठ संख्या 47–53